सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

प्रगति प्रतिवेदन

वर्ष 2014-15

ध्येय : सभी के लिए खाद्य सुरक्षा

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान

उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान

राजस्थान सरकार

प्रगति प्रतिवेदन
वर्ष 2014–15

- ❖ खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग
- ❖ उपभोक्ता मामले विभाग

हैल्प लाइन–1800 180 6030 (टोल फ्री)

अनुक्रम

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	प्रस्तावना	1
2	विभाग की स्थापना	1
3	कार्य संपादन	2
4	लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली	2
4	खाद्य सुरक्षा योजना	3
5	नवीन डिजिटाइज्ड राशन कार्ड	4
6	आवश्यक वस्तुओं का आबंटन, मापदण्ड एवं मूल्य	4
7	विभाग के अभिनव कार्य एवं योजनाएं	5
8	चीनी	8
9	केरोसीन	8
10	एलपीजी	9
11	उचित मूल्य दुकानों का आवंटन	11
12	उपभोक्ता मामले विभाग	20–21
14	वास्तविक आय–व्यय एवं संशोधित प्रावधान	22
15	राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि.	23–30
16	परिशिष्ठ 1 से 10	31–44

प्रस्तावना

क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। विषम भौगोलिक परिस्थितियों के इस प्रदेश में अधिकांश भाग रेगिस्तानी और कम वर्षा वाला है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या 685.48 लाख है। इस जनसंख्या में 515.00 लाख ग्रामीण और 170.48 लाख शहरी क्षेत्र की जनसंख्या सम्मिलित है। राज्य के सभी श्रेणी के परिवारों, यथा– बीपीएल, एपीएल, अन्त्योदय आदि के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्रियान्वयन राज्य में आरंभ से ही किया जा रहा है।

देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उदगम 1960 के दशक में हुई खाद्यान्नों की अत्यधिक कमी से कमी वाले शहरी क्षेत्रों में खाद्यान्नों का वितरण करने पर ध्यान केन्द्रित करके हुआ था। इसके बाद हरित क्रांति के अंतर्गत चूंकि राष्ट्रीय कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई थी, इसलिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार 1970 और 1980 के दशकों में आदिवासी ब्लाकों और अत्यधिक गरीबी वाले क्षेत्रों के लिए किया गया था। वर्ष 1992 तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली विशेष लक्ष्यों के बगैर सभी उपभोक्ताओं के लिए एक सामान्य पात्रता योजना थी। सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली जून, 1992 में सम्पूर्ण देश में प्रारंभ की गयी थी। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली जून, 1997 में प्रारंभ की गई थी।

विभाग की स्थापना

राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रबंधन एवं उचित मूल्यों पर खाद्यान्नों का सफलतापूर्वक वितरण सुनिश्चित करने के लिए विभाग की स्थापना की गई । पिछले कुछ वर्षों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली देश में खाद्यान्न अर्थव्यवस्था के प्रबंधन के लिए सरकार की नीति का महत्वपूर्ण अंग बन गई है। इसके अंतर्गत केन्द्र सरकार ने भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से खाद्यान्नों की खरीद, भंडारण, ढुलाई और बल्क आवंटन करने की जिम्मेदारी ले रखी है। राज्य के अंदर आवंटन, राशन कार्ड जारी करने और उचित मूल्य दुकानों के कार्यकरण का पर्यवेक्षण करने सहित प्रचलनात्मक जिम्मेदारी खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की है।

राज्य में वर्ष 1964 तक खाद्य एवं सहायता विभाग एक संयुक्त विभाग के रूप में कार्यरत रहे। वर्ष 1964 से सहायता विभाग से अलग होकर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग पृथक से अस्तित्व में आया। भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम,1986 लागू करने के साथ ही राज्य में भी वर्ष 1987 से विभाग द्वारा उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित कार्य भी सम्पादित किए जा रहे हैं। दिनांक 21 जून, 2001 को विभाग का नाम खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग किया गया। कालान्तर में मंत्रीमण्डल की आज्ञा 205/2013 के क्रम में अंकित खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग से "उपभोक्ता मामले विभाग" को पृथक किये जाने के लिए राजस्थान कार्यविधि नियमों में संशोधन प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया व अनुमोदित प्रारूप के अनुसार मंत्रीमण्डल सचिवालय द्वारा क्रमांक एफ 27(1)केबिनेट/2013 दिनांक 26.09.2013 को अधिसूचना जारी कर दी गई।

कार्य संपादन

उपरोक्त उद्धेश्यों की प्राप्ति के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा निम्नलिखित कार्य संपादित किये जाते हैं :–

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

- भारत सरकार से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वितरण योग्य आवश्यक वस्तुओं का राज्य की माँग के अनुरूप आवंटन प्राप्त करना एवं आवंटित वस्तुओं को उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से निर्धारित दरों पर उपभोक्ताओं को वितरण करना।

- समर्थन मूल्य नीति के अन्तर्गत खाद्यान्नों, यथा– गेहूँ, जौ, मक्का, बाजरा व धान (पैडी) की खुले बाजार में कीमत निर्धारित मूल्यों से कम होने पर किसानों के हित में भारत सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य पर भारतीय खाद्य निगम एवं नेफेड के माध्यम से क्रय करने में सहयोग करना।

- आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 एवं इसके अन्तर्गत प्रसारित विभिन्न आदेशों के प्रवर्तन व कालाबाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 के आदेश के अन्तर्गत जमाखोरी व कालाबाजारी के विरूद्ध कार्यवाही करना तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के अन्तर्गत पात्र परिवारों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना।

उपभोक्ता मामले विभाग

- उपभोक्ता हितों के संरक्षण के लिए गठित राज्य आयोग एवं जिला मंचों की प्रशासनिक व्यवस्था संबंधी कार्य करना
- उपभोक्ता आन्दोलन को गति देने संबंधी कार्य करना
- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का कियान्वयन
- राज्य उपभोक्ता हैल्पलाइन का संचालन
- राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष का संचालन
- उपभोक्ता क्लबों का संचालन
- राष्ट्रीय एवं विश्व उपभोक्ता दिवस का आयोजन
- उपभोक्ता साहित्य का मुद्रण एवं प्रबंधन

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि को नियंत्रित करने और उपभोक्ताओं के लिए खाद्यान्नों की पहुँच सुनिश्चित करने में पर्याप्त रूप से योगदान दिया है। देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बाद वर्ष 1997 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की गई थी।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रमुख रूप से निम्न उद्धेश्य है :–

- आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों को स्थिर रखना।
- कुछ मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से समाज के कमजोर वर्गों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राज्य में गेहूँ, चावल, चीनी एवं केरोसीन तेल उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से वितरित किये जाते हैं। उक्त वस्तुयें निर्धारित मात्रा में निश्चित मूल्य लेकर उपभोक्ताओं को राशन कार्ड के आधार पर दी जाती हैं। भारत सरकार से खाद्यान्न आवंटित किए जाने के आदेशों के पश्चात राज्य के जिलों हेतु खाद्यान्न नियत अवधि में उठाव व्यवस्था के साथ उप आवंटन जारी किया जाता है। जिलों में जिला कलक्टर्स द्वारा तहसील/पंचायत समिति अनुसार किये गये आवंटन के आधार पर आवंटित सामग्री संबंधित उचित मूल्य दुकान तक पहुंचाई जाती हैं।

आवश्यक वस्तुओं के वितरण के लिए राज्य में कुल 25646 उचित मूल्य की दुकानें स्थापित हैं, जिनमें से 6021 शहरी क्षेत्र में एवं 19625 दुकानें ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत हैं। जिलेवार उचित मूल्य दुकानों की सूचना **परिशिष्ट– "1"** पर अंकित हैं।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उपभोक्ताओं को खाद्यान्नों की पहुँच सुनिश्चित करने हेतु राज्य में राशन टिकिट व्यवस्था लागू की गई है ताकि खाद्य सामग्री की लाभार्थी तक पहुँच सुनिश्चित हो सके। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत 2014–15 में विभिन्न खाद्यान्न योजनाओं में अप्रैल, 2014 से दिसम्बर, 2014 तक आवंटन–उठाव **परिशिष्ट–"2"** पर अंकित है।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के स्थान पर वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम,2013 के कियान्वयन से इस प्रणाली का स्वरूप परिवर्तित हुआ है और अधिनियम के अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एक अधिकार बन गया है।

खाद्य सुरक्षा योजना

राज्य सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम,2013 के अन्तर्गत राज्य में 02 अक्टूबर,2013 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का शुभारम्भ किया गया। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम,2013 के तहत शहरी क्षेत्र में 53 प्रतिशत जनसंख्या तथा ग्रामीण क्षेत्र में 69 प्रतिशत जनसंख्या को खाद्य सुरक्षा प्रदान करते हुए राज्य के पात्र लाभार्थियों के लिये प्रतिमाह 2,32,631 मै.टन गेहूं आवंटित किया जा रहा है, जिसे सभी चयनित/पात्र लाभार्थियों में वितरित किया जा रहा है। वर्तमान में इस योजना के अन्तर्गत राज्य के लगभग 531 लाख व्यक्तियों का चयन किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के बीपीएल, स्टेट बीपीएल, अन्त्योदय परिवारों, अन्नपूर्णा योजनान्तर्गत चयनित व्यक्तियों, पेन्शनधारी, मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष के लाभार्थियों, समस्त सरकारी हॉस्टल के अन्तःवासी, बन्धुआ मजदूर, निर्माण श्रमिक, धरेलू श्रमिक, लधु एवं सीमान्त कृषक इत्यादि को लाभ दिया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा पात्र लाभार्थियों हेतु 2.00 रूपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूँ उपलब्ध कराया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत लाभार्थियों का जिलेवार विवरण **परिशिष्ट–"3"** पर अंकित है।

नवीन डिजिटाइज्ड राशन कार्ड

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु राज्य सरकार की प्रतिबद्धता एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों की अनुपालना में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण कार्य के अन्तर्गत राज्य में डिजिटाईज्ड राशनकार्ड बनाने का कार्य किया जा रहा हैं। संपूर्ण राज्य में डिजिटाईज्ड राशनकार्ड तैयार किये जाकर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराये जाने हेतु विभागीय समसंख्यक आदेश क्रमांक एफ 97(6)खा.वि./सा.वि.प्र./2010 पार्ट–2 दिनांक 01.06.2012 से सभी जिला कलक्टर्स/जिला रसद अधिकारियों को दिशा–निर्देश जारी किये गये थे।

राशनकार्ड अभियान–2012 के अन्तर्गत राज्य के लगभग 1.77 करोड उपभोक्ताओं को अलग–अलग रंग के विभिन्न श्रेणी यथा बीपीएल, स्टेट बीपीएल, अन्त्योदय, एपीएल एवं अन्नपूर्णा योजनाओं के नवीन डिजिटाईज्ड राशनकार्ड उपलब्ध कराये जाने हैं। राशनकार्ड के कम्प्यूटराईज्ड एवं डिजिटाईज्ड कार्य हेतु राज्य स्तर पर ई–निविदा के माध्यम से निविदा आमंत्रित की जाकर जिलों के लिये 11 कम्प्यूटर सेवाप्रदाता एजेन्सी/फर्म का चयन किया गया था। इन चयनित फर्मों द्वारा जिला कलक्टर के समक्ष उपस्थित होकर आपने अनुबंध निष्पादित किया जाकर प्राप्त राशनकार्ड आवेदन फार्मों को जांच पश्चात् निर्धारित प्रक्रियानुसार स्केनिंग एवं फिडिंग का कार्य पूर्ण किये जाने के पश्चात् जिले की संबंधित फर्म द्वारा राशनकार्ड तैयार कर उपलब्ध कराये जाने थे। चूँकि नवीन डिजिटाईज्ड राशनकार्ड जिले की चयनित फर्म द्वारा अनुबंध की तिथि से 04 माह की अवधि फरवरी, 2013 तक राशनकार्ड कार्य पूर्ण कर वितरण किये जाने थे। फर्म द्वारा निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं किये जाने अथवा राशनकार्ड उपलब्ध नहींकराने के कारण राशनकार्ड कार्य की अवधि बढाने के संबंध में मंत्रीमण्डलीय समिति के सम्मुख प्रस्तुत प्रस्ताव पर दिनांक 03.03.2014 को लिये गये निर्णय अनुसार राशनकार्ड कार्य की अवधि 30 सितम्बर, 2014 तक बढाई गई। उक्त अवधि तक संपूर्ण राज्य में 94 प्रतिशत (1.64 करोड) राशनकार्ड तैयार कर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराये जा चुके हैं। शेष राशनकार्ड नई व्यवस्था अनुसार विभिन्न स्तर से तथा ई–मित्र के माध्यम से तैयार कराये जाकर उपभोक्ताओं को यथाशीघ्र उपलब्ध कराये जाने संबंधी निर्देश दिनांक 02.02.2015 को जारी कर दिये गये है। नवीन डिजिटाईज्ड राशनकार्ड वितरण का जिलेवार विवरण परिशिष्ट–4 पर अंकित है।

आवश्यक वस्तुओं का आबंटन, मापदण्ड एवं मूल्य

राज्य में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत विभिन्न श्रेणी के लाभार्थियों को निम्नानुसार खाद्यान्न एवं अन्य सामग्री उपलब्ध करायी जा रही है :–

1. अन्त्योदय परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत 35 किलोग्राम प्रति परिवार गेहूँ 2.00 रूपये प्रतिकिग्रा. की दर से उपलब्ध कराया जा रहा है।
2. राज्य में अन्त्योदय श्रेणी में आने वाले उदयपुर जिले के कथौड़ी परिवार एवं बारां जिले के सहरिया परिवारों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत 35 किग्रा. गेहूं प्रतिमाह निःशुल्क उपलब्ध करवाया जा रहा है।

3. राज्य के बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल परिवारों (लाभार्थियों) को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत 05 किलोग्राम प्रति यूनिट गेहूँ 2.00 रूपये प्रतिकिग्रा. की दर से उपलब्ध कराया जा रहा है।
4. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अन्य पात्र परिवारों (लाभार्थियों) को प्रति यूनिट समानुपातिक रूप से खाद्यान्न(गेहूं) 2.00 रूपये प्रतिकिग्रा. की दर से गेहूँ उपलब्ध कराया जा रहा है।
5. बीपीएल परिवारों (अन्त्योदय अन्न योजना चयनित परिवारों सहित) को चीनी 500 ग्राम प्रति इकाई प्रतिमाह, रूपये 13.50 प्रति किग्रा. की दर से वितरित की जाती है।
6. बिना गैस कनेक्शनधारी सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को केरोसीन 4 लीटर प्रतिमाह प्रति राशनकार्ड 17.25 रूपये प्रति लीटर की दर से उपलब्ध कराया जाता है।

विभाग के अभिनव कार्य एवं योजनाएँ

राज्य में राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारन्टी अधिनियम, 2011 दिनांक 14.11.2011 से प्रभावी हो गया है। इस अधिनियम के अन्तर्गत विभाग से संबंधित राशन कार्ड जारी करने का बिन्दु है। इस अधिनियम, 2011 के सन्दर्भ में प्राप्त आवेदन पत्रों पर निर्धारित समयावधि में राशन कार्ड जारी करने की कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु विभागीय आदेश क्रमांक एफ. 97(1) खा.वि./साविप्र/2010–11 दिनांक 11.11.2011 द्वारा सभी जिला कलक्टरों/जिला रसद अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं तथा राज्य में राशन कार्ड जारी करने के लिए निम्नांकित अधिकारियों को प्राधिकृत किया गया है :–

1	जिला मुख्यालय नगरपालिका क्षेत्र में	जिला रसद अधिकारी/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर प्राधिकृत अधिकारी
2	शेष नगरपालिका क्षेत्र में	नगरपालिका बोर्ड अधिशाषी अधिकारी/आयुक्त
3	ग्रामीण क्षेत्र के लिए	विकास अधिकारी, संबंधित पंचायत समिति
4	राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से अधिकृत अन्य कोई अधिकारी	

समस्त प्राधिकृत अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि प्राप्त आवेदन पत्रों पर नियमानुसार कार्यवाही कर उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत 7 दिवस की अवधि में राशन कार्ड बनाये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। इस कार्य हेतु जिलों में उपलब्ध राशन कार्ड काम में लिये जावे। आवश्यकता होने पर स्वायत्तशाषी संस्थाओं/पंचायत समितियों/नगरपालिका/नगर परिषद द्वारा राशन कार्ड छपवाकर कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान करने की गारंटी अधिनियम के क्षेत्राधिकार में दी जाने वाली सेवाऐं, अवधि एवं उनके लिए निर्धारित किए जाने वाले पदाभिहित अधिकारी/सहायक पदाभिहित अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी का विवरण **परिशिष्ट–"5"** पर संलग्न है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढीकरण हेतु राज्य सरकार की प्रतिबद्धता एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों की अनुपालना में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण कार्य के अन्तर्गत राज्य में डिजिटाइज्ड राशनकार्ड का कार्य किया जा रहा है। योजना के अन्तर्गत आवश्यक वस्तुओं के आवंटन, उठाव, आपूर्ति एवं वितरण व्यवस्था के साथ ही राज्य मुख्यालय व जिला कार्यालयों को भी कम्प्युटरीकृत किया जायेगा। इस कार्य के पर्यवेक्षण हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित है। वित्तीय वर्ष 2011–12 से 2013–14 तक कुल राशि रूपये 6,50,22,450 एन.आई.सी. को हस्तान्तरित किये जा चुके है। वर्ष 2014–15 में कुल 175.97 लाख रूपये का प्रावधान रखा गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण दो चरणों में किया जा रहा है। प्रथम चरण में डिजिटाइज्ड राशनकार्ड सम्पूर्ण राज्य में उपलब्ध कराये जा रहे है। केबिनेट की उप समिति द्वारा यह कार्य 30 सितम्बर,2014 तक पूर्ण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। वर्तमान में 94 प्रतिशत राशनकार्ड वितरित किये जा चुके है। द्वितीय चरण में उचित मूल्य की तथा समस्त सप्लाई चैन (थोक विक्रेताओं द्वारा एफ.सी.आई.गोदाम/तेल कम्पनियों से उठाव कर उचित मूल्य दुकानों तक वितरण) का कम्प्यूटरीकरण किया जावेगा। विभाग के प्रमुख शासन सचिव एवं एन.आई.सी. के अधिकारियों द्वारा 18 एवं 19 नवम्बर, 2014 को छत्तीसगढ का दौरा किया गया। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण की योजना के अन्तर्गत होने वाले व्यय पर केन्द्र एवं राज्य की बराबर की हिस्सेदारी होगी। केन्द्र सरकार द्वारा योजना के प्रथम चरण पर कुल अनुमानित व्यय 46.29 करोड रूपये में से 23.14 करोड रूपये की वित्तीय स्वीकृति जारी कर 60 प्रतिशत राशि रूपये 13.88 करोड रिलीज किये जाने की स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

राज्य की समस्त उचित मूल्य दुकानों पर POS (Point of sale machine-विक्रय समाधान यंत्र) मशीन उपलब्ध करवायी जायेगी। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा रूपये 53.00 करोड का वित्तीय प्रावधान वर्ष 2014–15 में किया गया है। मशीन की सम्पूर्ण कीमत 02 वर्ष में उचित मूल्य दुकानदार से उसको देय अतिरिक्त मानदेय राशि में से वसूल किया जायेगा।

पीडीएस के कम्प्यूटरीकरण की प्रगति की समीक्षा किये जाने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय अपेक्स कमेटी की बैठक दिनांक 26.09.2014 को सम्पन्न हुई, जिसमें मुख्य सचिव द्वारा भारत सरकार की 46.29 करोड की स्वीकृति के संबंध में राज्यांश की वित्त विभाग से स्वीकृति हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किये गये। पीडीएस के कम्प्यूटरीकरण हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय कमेटी की बैठक दिनांक 26.09.2014 में लिये गये निर्णयानुसार शेष रहे तथा नया आवेदन करने वाले लाभार्थियों को ऑनलाईन प्रकिया द्वारा ई–मित्र/सीएसी के माध्यम से डिजिटाइज्ड राशनकार्ड उपलब्ध कराये जाने के कम में दिनांक 02.02.2015 को परिपत्र जारी किया जा चुका है।

अन्त्योदय अन्न योजना

यह योजना मार्च, 2001 में प्रारम्भ की गई है, जो राज्य के ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के निर्धनतम वर्ग को खाद्यान्न सुरक्षा उपलब्ध कराती है। इस योजना के अन्तर्गत राज्य के

चयनित अन्त्योदय अन्न परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत पात्र लाभार्थियों में सम्मिलित कर प्रति माह 35 किग्रा. गेहूँ 2.00 रूपये प्रति किग्रा. की दर से उपलब्ध कराया जा रहा है।

अन्त्योदय परिवारों का चयन एक दशक पूर्व हुआ था। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल रिट पिटिशन संख्या–535/1998 में पारित आदेश दिनांक 26.03.2009 एवं केन्द्र सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 13(15)/2009–PD-III दिनांक 03.06.2009 की अनुपालना में विभागीय आदेश क्रमांक एफ 13(48)खा.वि./अ.अ.यो./2000–II दिनांक 29.12.2014 के द्वारा इन परिवारों की संख्या की समीक्षा की जाकर HIV+ परिवारों को भी अन्त्योदय अन्न योजना श्रेणी में शामिल कर खाद्य सुरक्षा प्रदान की जानी प्रस्तावित है।

योजना में प्रारम्भ से लाभान्वितों का विवरण निम्नानुसार है:–

चयन हेतु अनुमानित संख्या		चयनित परिवार (लाख)
सामान्य	3,72,600	3,72,600
प्रथम विस्तार 2003–2004	1,86,500	1,86,500
द्वितीय विस्तार 2004–2005	1,79,000	1,79,000
तृतीय विस्तार 2005–2006	1,94,001	1,94,001
महायोग	9,32,101	9,32,101

समर्थन मूल्य के अन्तर्गत खरीद

किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्राप्त हो व अनुचित व्यापारिक प्रवृतियों से किसानों की सुरक्षा की जावे, इसी दृष्टिकोण के मद्देनजर भारत सरकार द्वारा समय–समय पर कृषि जिन्सों के समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। विभाग द्वारा भारतीय खाद्य निगम के लिए राज्य एजेन्सियों के माध्यम से.न्यूनतम समर्थन मूल्य पर निम्न जिन्सों की खरीद (प्रोक्योरमेंट) की जाती है –

रबी फसल– गेहूँ व जौ

खरीफ फसल में मोटे अनाज, यथा, बाजरा, ज्वार व मक्का

(अ) विपणन वर्ष 2012–13, 2013–14 एवं 2014–15 में भारत सरकार द्वारा रबी एवं खरीफ के लिए निम्न प्रकार समर्थन मूल्य घोषित किये गये हैं:–

(समर्थन मूल्य रूपये प्रति क्विंटल में)

		वर्ष 2012–13	वर्ष 2013–14	वर्ष 2014–15
रबी	गेहूँ	1285+100 बोनस (राज्य सरकार)	1350+150 बोनस (राज्य सरकार)	1400+150 बोनस (राज्य सरकार)
खरीफ (मोटे अनाज)	बाजरा	1175	1250	1250
	मक्का	1175	1310	1310

भारतीय खाद्य निगम, राजफैड एवं तिलम संघ द्वारा राज्य में रबी विपणन वर्ष 2012–13 में 19,63,936 मै.टन, वर्ष 2013–14 में 12.68 लाख मै.टन गेहूं एवं वर्ष 2014–15 में कुल 2136225 मै.टन गेहूँ की समर्थन मूल्य पर खरीद की गई है एवं राज्य के अलवर जिले में विकेन्द्रीकृत योजना के तहत 87,248 मै.टन गेहूं की खरीद की गई।

खरीफ विपणन वर्ष 2013–14 में मूंगफली की समर्थन मूल्य 4000/– रूपये प्रति क्विंटल पर 1787465.40 क्विंटल खरीद की गई।

चीनी

राज्य के बीपीएल राशन कार्ड धारियों (अन्त्योदय परिवारों सहित) को प्रतिमाह 500 ग्राम चीनी प्रति यूनिट 13.50 रूपये प्रति किलो (माह अप्रेल,2014 से) की दर से उपलब्ध कराई जा रही है। भारत सरकार द्वारा जारी नई मार्गदर्शिका के अनुसार राज्य सरकार द्वारा "राजस्थान राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम लि. के माध्यम से चीनी की खरीद की जाकर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई जा रही है। भारत सरकार द्वारा 18.50 रूपये प्रतिकिलोग्राम अनुदान दिया जा रहा है। वर्षवार चीनी के आवंटन एवं उठाव की स्थिति **परिशिष्ट–"6"** पर संलग्न है।

केरोसीन

राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत भारत सरकार के पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, नई दिल्ली से राज्य को त्रैमासिक केरोसीन का आवंटन प्राप्त होता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत प्राप्त नीला केरोसीन केवल खाना पकाने एवं रोशनी के उद्धेश्य से वितरित कराया जाता है। प्राप्त आवंटन का एक निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत जिलों को उप आवंटन किया जाता है। वर्तमान में राज्य में गैस कनेक्शनधारी उपभोक्ताओं को केरोसीन नहीं दिया जा रहा है। बिना गैस कनेक्शनधारी उपभोक्ताओं को तीन लीटर प्रतिमाह प्रति राशनकार्ड की मात्रा में केरोसीन वितरण किया जा रहा है। केरोसीन के आवंटन एवं उठाव की सूचना **परिशिष्ट–"7"** पर संलग्न है।

केरोसीन का डायवर्जन रोकने के लिए केरोसीन के डीलरों को भूमिगत स्टोरेज टैंक बनाने के लिए आदेश जारी किये हुये है तथा जिला कलक्टर्स को भी यह निर्देशित किया हुआ है कि रूट चार्ट बनाकर जो भी टेंकर तेल कम्पनी से तेल लेकर रवाना होता है, वह इसकी सूचना जिला कलक्टर को दें और कलक्टर रूट चार्ट के अनुसार संबंधित तहसील/ एस.डी.ओ. को निर्देश देवें कि टेंकर का सत्यापन किया जावे और एस.डी.ओ. कम्प्युटर से ट्रॉंसमिशन करेंगे कि कौन–सा टैंकर कब और कहॉं के लिए रवाना हो रहा है?

वर्तमान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत केरोसीन का राज्य में समान दर से वितरण कराने हेतु विभागीय अधिसूचना कमांक:एफ 45(75)खा.ले./नीति/केरोसीन/ 2012–13 दिनांक 24.07.2013 से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत नीले केरोसीन की अधिकतम विक्रय दर 17.25 रूपये प्रति लीटर निर्धारित की गई है।

केरोसीन अनुदान राशि बाबत पायलट प्रोजेक्ट योजना

भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अनुदानित केरोसीन की अनुदान राशि का लाभ उपभोक्ता के बैंक खाते में जमा कराये जाने बाबत, कालाबाजारी एवं डायवर्जन को रोके जाने के उद्धेश्य से बजट घोषणा 2011–12 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत अनुदानित केरोसीन की अनुदान राशि का उपभोक्ताओं के बैंक खाते में

सीधे ही हस्तानान्तरण करने के बारे में घोषणा की गई है। इस हेतु राज्य के अलवर जिले की कोटकासिम तहसील को पायलट प्रोजेक्ट में चयनित किया गया तथा माह दिसम्बर, 2011 से उक्त योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आरम्भ किया गया। भारत सरकार द्वारा इस योजना की अवधि को समय–समय पर बढाया गया।

वर्तमान में इस योजना को राज्य के अजमेर, उदयपुर एवं अलवर जिले में एक–एक ग्रामीण एवं शहरी ब्लॉकों का निम्नानुसार चयन कर दिनांक 01 जुलाई, 2013 से पॉयलेट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया है :–

क्र.सं.	नाम जिला	शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र
1	अलवर	नगरपालिका, खेरली	कोटकासिम तहसील
2	अजमेर	नगरपालिका, पुष्कर	अराई पंचायत समिति
3	उदयपुर	नगरपालिका, कानोड	लसाडिया पंचायत समिति

भारत सरकार द्वारा द्वितीय चरण में उक्त योजना को लागू किये जाने हेतु 3 अन्य जिलों यथा झुन्झुनू, पाली एवं कोटा का चयन किया जा चुका है। इस प्रकार हर 3 माह में धीरे–धीरे 3–3 जिलों को सम्मिलित करते हुए उक्त योजना को पूरे राज्य में लागू किया जाना है।

एल.पी.जी.

घरेलू गैस रिफिल का राज्य में पंजीकृत उपभोक्ताओं की मांग के अनुसार नियमित रूप से उपलब्धता के संबंध में राज्य सरकार पूर्ण रूप से सतर्क है। घरेलू गैस का व्यवसायिक ईंधन के रूप में प्रयोग को रोकने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रभावी कदम उठाये गये हैं तथा जिला प्रशासन एवं तेल कम्पनियों को निर्देशित किया गया है। सभी जिलों में मिठाई की दुकानों, रेस्टोरेंट, वाहनों में दुरूपयोग आदि पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग करने पर द्रवीकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश, 2000 के अंतर्गत कार्यवाही कर प्रकरण बनाये गये हैं। घरेलू गैस सिलेण्डर 14.2 किलो एवं वाणिज्यिक गैस सिलेण्डर 19 किलो में उपलब्ध है। राज्य में कुकिंग गैस (एलपीजी) का वितरण आई.ओ.सी., एच.पी.सी. एवं बी.पी.सी. तेल कम्पनियां कर रही हैं।

केन्द्र सरकार द्वारा रसोई गैस में 50 रूपये प्रति सिलेण्डर बढोतरी के कारण राज्य के उपभोक्ताओं पर पड रहे अतिरिक्त आर्थिक भार के संबंध में दिनांक 28.06.2011 को मंत्री परिषद की बैठक में मंत्रिमण्डल की आज्ञा क्रमांक 84/2011 द्वारा राज्य के उपभोक्ताओं को राहत पहुंचाने के परिपेक्ष्य में निर्णय लिया जाकर बढी हुई दर रूपये 50 प्रति सिलेण्डर का 50 प्रतिशत भार अर्थात रूपये 25 राज्य सरकार के राजकोष से सभी घरेलू उपभोक्ताओं हेतु अनुदान दिया गया। इस संबंध में विभागीय अधिसूचना क्रमांक प.65(3)खा.वि./एल.पी.जी./ 2011 दिनांक 29.06.2011 जारी की थी, जो दिनांक 09.02.2015 को समाप्त करदी गई है।

राज्य स्तरीय समन्वयक एवं तेल विपणन कम्पनियों के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे उपभोक्ताओं को रसोई गैस की समुचित आपूर्ति करे तथा आवश्यकतानुसार नये गैस कनेक्शन जारी करें। साथ ही बैकलॉग खत्म किये जाने एवं

सिलेण्डर पर टॉल फ्री नम्बर अंकित करने के निर्देश प्रदान किये गए। प्रदेश में गैस एजेन्सियों द्वारा नये गैस कनेक्शन जारी करने पर निर्धारित प्रतिभूति राशि के अतिरिक्त कोई अन्य वस्तु जैस– हॉटप्लेट, प्रेशर कूकर, उपभोक्ताओं को चाय, चावल, चीनी, दाल, माचिस और साबुन इत्यादि लेने को मजबूर करने की शिकायत मिलने पर गैस एजेन्सी के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी तथा जुर्माना से लेकर लाईसेंस निलम्बित/निरस्त करने तक की कार्यवाही की जायेगी।

पहल योजना (MDBTL)

"पहल" योजना के अन्तर्गत पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा घरेलू गैस उपभोक्ताओं को बैंक खाते के मार्फत सीधे ही नकद भुगतान किये जाने की संशोधित DBTL योजना राज्य में 1 जनवरी, 2015 से प्रारम्भ की गई है।

वर्तमान में राजस्थान में लगभग 67 प्रतिशत उपभोक्ताओं के आधार कार्ड बन चुके हैं। संशोधित DBTL योजना के अन्तर्गत जिन उपभोक्ताओं के पास आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है उन्हें भी एक निश्चित अवधि तक बैंक खाते के माध्यम से अनुदान राशि सीधे ही नकद भुगतान की व्यवस्था की गई है।

उपलब्ध सूचना के अनुसार राजस्थान राज्य में दिनांक 01.09.2014 की स्थिति में कुल 84,58,591 घरेलू गैस कनेक्शनधारी उपभोक्ता हैं। इनमें से 77,03,659 गैस कनेक्शन सक्रिय हैं तथा शेष निष्क्रिय श्रेणी के कनेक्शन हैं। संशोधित DBTL योजना के अन्तर्गत दिनांक 15.02.2015 तक कुल 56,37,259 लोगों ने आवेदन किया है, जो कुल सक्रिय गैस कनेक्शनधारी उपभोक्ताओं का 73 प्रतिशत है।

घरेलू गैस पर अनुदान छोड़ने हेतु स्वैच्छिक आवेदकों में माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, माननीय विधानसभा अध्यक्ष, प्रमुख शासन सचिव (खाद्य) सहित कुल 1372 उपभोक्ताओं ने अनुदान त्याग का विकल्प पत्र दिया है।

राज्य में योजना की अधिकतम सफलता के लिये भारत सरकार से सूचना प्राप्त होते ही सभी जिला कलक्टर्स/जिला रसद अधिकारियों को इसके व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु दिनांक 18.11.2014 को ही निर्देश जारी किये गये। योजना की जिला स्तर व राज्य स्तर पर समीक्षा के लिये जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति के गठन हेतु निर्देश दिनांक 29.01.2015 को जारी किये गये हैं तथा राज्य स्तरीय ओवरसाइट कमेटी का गठन दिनांक 12.02.2015 को प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा कर दिया गया है।

अन्नपूर्णा भण्डार

गैर सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं का उचित मूल्य दुकान के माध्यम से आम उपभोक्ता को उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण ब्राण्डेड वस्तुएँ उपलब्ध करवाने हेतु राज्यभर में 5000 उचित मूल्य दुकानों को अन्नपूर्णा भण्डार के रूप में विकसित किया जायेगा। इस हेतु निर्धारित मापदण्ड़ानुसार राज्यभर में 5000 दुकानों का चयन कर लिया गया है। चयनित दुकानों का जिलेवार विवरण **परिशिष्ट–8** पर उपलब्ध है।

उचित मूल्य दुकानों के आवंटन हेतु दिशा–निर्देश

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उचित मूल्य दुकानों का कम्प्युटराईजेशन करने के संबंध में पारित आदेश, भारत सरकार के निर्देश एवं उचित मूल्य दुकानों में महिला समूह व सहकारी समितियों की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से **राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976** के खण्ड 3(1) के तहत उचित मूल्य दुकानों के प्राधिकार पत्र जारी किए जाने हेतु पूर्व में जारी समस्त आदेश/परिपत्र एवं दिशा–निर्देशों को अतिक्रमित करते हुए नयी उचित मूल्य दुकानों के आवंटन हेतु दिनांक 09.02.2015 को दिशा–निर्देश जारी कर दिये गये हैं। अतः उचित मूल्य दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया निम्न प्रकार है:–

आवंटन प्रक्रिया

1. उचित मूल्य दुकान आवंटन के लिये अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य अर्हताएँ

(i) **शहरी क्षेत्र** की उचित मूल्य की दुकान हेतु आवेदक के मामले में आवेदक उसी वॉर्ड का निवासी होना चाहिए, जिस वॉर्ड के उपभोक्ताओं को राशन सामग्री वितरण करनी है अर्थात् उस उचित मूल्य दुकान की अधिकारिता क्षेत्र में स्थित वॉर्डों में से किसी एक वॉर्ड का निवासी होना चाहिए।

ग्रामीण क्षेत्र की उचित मूल्य दुकान के मामलों में आवेदक उसी पंचायत के किसी भी ग्राम या वॉर्ड का निवासी होना आवश्यक है, जिस पंचायत में उचित मूल्य दुकान स्थित है।

उचित मूल्य दुकान हेतु सभी श्रेणी के आवेदकों की आयु 21 से 45 वर्ष तक होनी चाहिए **अर्थात उचित मूल्य दुकान के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि को आवेदक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिये।**

(ii) आवेदक की "शैक्षणिक योग्यता सामान्य रूप से स्नातक एवं कम्प्यूटर में न्यूनतम जानकारी Rajasthan Knowledge Corporation Limited (RKCL) या अन्य समकक्ष सरकारी अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान का तीन माह का आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए"(विशेष परिस्थितियों में ही राज्य सरकार द्वारा छूट देय होगी)। यदि आवेदक कम्प्यूटर में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हो तो आवेदन के साथ आवेदक से यह शपथ–पत्र भी लिया जावेगा, कि वह चयनित होने के 06 माह की अवधि में प्रशिक्षण प्राप्त कर लेगा व ऐसे चयनित व्यक्तियों को प्रशिक्षण के बाद प्राधिकार पत्र दिया जावेगा।

(iii) आवेदक को अन्नपूर्णा भण्डार हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करने होगें। यदि आवेदक पहले से ही अन्नपूर्णा भण्डार के मापदण्डों को पूर्ण करता है, तो उसकी पुष्टि में दुकान का नक्शा–स्वामित्व–किरायानामा आदि से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। जो आवेदक आवेदन के समय

अन्नपूर्णा भण्डार के मापदण्डों को पूर्ण नहीं करते, उन्हें छः माह में मापदण्ड पूर्ण किये जाने का वचन–पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि वचन–पत्र के अनुसार प्राधिकृत होने पर मापदण्ड पूर्ण नहीं किये जाते हैं, तो दुकान स्वतः ही निरस्त हो जायेगी। विशेष परिस्थितियों में ही मापदण्ड पूर्णता अवधि राज्य सरकार/जिला कलक्टर द्वारा अधिकतम छः माह बढ़ायी जा सकेगी।

(iv) कार्यरत उचित मूल्य दुकानदार को भी अन्नपूर्णा भण्डार के मापदण्डों को अधिकतम एक वर्ष की अवधि में पूर्ण करना अनिवार्य होगा। उक्त दिशा–निर्देश जारी होने के एक वर्ष के भीतर मापदण्ड पूर्ण नही किये जाने पर प्राधिकार पत्र स्वतः ही निरस्त हो जायेगा।

(v) उचित मूल्य दुकान हेतु आवेदन करने वाले पुरूष/महिला के दिनांक 01.01.2015 के बाद पैदा हुई संतान सहित दो से अधिक संतान नही होनी चाहिये। निर्धारित तिथि पश्चात दो से अधिक संतान होने की स्थिति में कोई भी व्यक्ति आवेदन का पात्र नही होगा। उचित मूल्य दुकान आवंटन होने के पश्चात भी यदि किसी उचित मूल्य दुकानदार के तीसरी संतान होती है तो ऐसे उचित मूल्य दुकानदार का प्राधिकार पत्र निरस्तनीय होगा, परन्तु किसी आवेदक के दिनांक 31.12.2014 को एक ही संतान है तथा पश्चातवर्ती किसी एकल प्रसव से एक से अधिक संतानें पैदा हो जाती है, तो संतानों की गणना करते समय इस प्रकार एक प्रसव से पैदा हुई संतानों को एक इकाई ही समझा जाए।

2. आवेदन पत्र आमंत्रित करनाः–

(क) उचित मूल्य दुकान आवंटन हेतु रिक्तियों का निर्धारण कर; जिला कलक्टर से अनुमोदन प्राप्त कर, इन रिक्तियों का विवरण समाचार पत्रों एवं अन्य प्रचार माध्यमों में जिला जन सम्पर्क अधिकारी के मार्फत प्रेस नोट जारी कर विज्ञप्ति जारी करायेंगे।

(ख) आवेदन पत्र केवल मात्र जिला रसद कार्यालय से जारी किये जायेंगे अन्य किसी स्थान यथा टाईपिस्ट, नोटेरी/बुक स्टोर से प्राप्त किये गये आवेदन पत्र स्वीकार नही किये जायेंगे। एक आवेदन पत्र का मूल्य 100/– निर्धारित किया जाता है। जिला रसद कार्यालय से आवेदन पत्र निर्धारित शुल्क का डी. डी. अथवा भारतीय पोस्टल आर्डर (IPO) जमा कराया जाकर प्राप्त किये जा सकेंगे। प्रत्येक आवेदन पत्र का कमांक अंकित करते हुए आवेदक को उपलब्ध कराये गये आवेदन पत्रों का रजिस्टर संधारित किया जायेगा।

(ग) आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में होगा, जिस पर आवेदनकर्त्ता का छायाचित्र लगा होगा।

(घ) समस्त आवेदन पत्रों को सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार कर अभिशंषा करने का अधिकार सलाहकार समिति को ही होगा। उचित मूल्य दुकान चयन सलाहकार समिति की अभिशंषा के अनुसार चयनित आवेदनकर्ता के आवेदन पत्र/उचित मूल्य दुकान तथा गोदाम के ब्लूप्रिन्ट के नक्शों के अनुसार मौके की जांच रिपोर्ट संबंधित प्रवर्तन अधिकारी/प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा की जाकर आवेदन पत्रों के

साथ संलग्न दस्तावेजों की सत्यता एवं उचित मूल्य दुकान के स्थान एवं गोदाम की उपयुक्तता के संबंध में स्पष्ट टिप्पणी की जायेगी।

(ड) आवेदक द्वारा निम्न बिन्दुओं को अंकित करते हुये एक शपथ पत्र दिया जावेगाः–

(1) आवेदक पूर्व में ई.सी. एक्ट के तहत दण्ड़ित नहीं हुआ है।
(2) आवेदक द्वारा दुकान का संचालन स्वयं किया जावेगा।
(3) आवेदक के परिवार में किसी सदस्य; यथा, माता–पिता, पुत्र एवं पुत्री के नाम से पूर्व में कोई उचित मूल्य दुकान नहीं हैं।
(4) आवेदक को विधिक रूप से अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।
(5) आवेदक स्वयं अथवा आवेदक की पत्नी/पति वर्तमान में निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहीं है।
(6) आवेदक बालिग एवं स्वस्थ चित हैं, चाल–चलन अच्छा है तथा कभी दिवालिया घोषित नहीं हुआ है।
(7) **आवेदक द्वारा दिनांक 01.01.2015 के बाद दो से अधिक संतान नही होने का स्पष्ट कथन किया जायेगा।**

(च) प्रस्तावित दुकान का नक्शा प्रवर्तन अधिकारी/निरीक्षक द्वारा संवीक्षा के समय प्रमाणित किया जावेगा।

(छ) आवेदक द्वारा संबंधित तहसीलदार द्वारा जारी न्यूनतम 1,00,000/– रूपये का हैसियत का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावेगा।(जो छः माह से अधिक पुराना ना हो)

(झ) आवेदक द्वारा दी गयी सूचनायें गलत पाये जाने पर आवंटन रद्द करने का अधिकार सक्षम अधिकारी को होगा।

3. जिला स्तरीय आवंटन सलाहकार समितिः–

(i) नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार कर अभिशंषा करने हेतु निम्न सदस्यों की समिति होगीः–

(क)	**जिला कलक्टर अथवा नामिति (अतिरिक्त जिला कलक्टर)**	**अध्यक्ष**
(ख)	शहरी क्षेत्र हेतु :– नगर निगम/परिषद्/पालिका के अध्यक्ष/प्रशासक या उनके द्वारा मनोनीत बोर्ड का निर्वाचित सदस्य	
	ग्रामीण क्षेत्र हेतु :– सरपंच	सदस्य
(ग)	उप–निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग अथवा नामांकित अधिकारी	विशेष आमंत्रित सदस्य
(घ)	सहकारिता विभाग का जिला उप–पंजीयक अथवा सहायक पंजीयक	विशेष आमंत्रित सदस्य
(ड)	शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र हेतु राज्य सरकार द्वारा मनोनीत उसी क्षेत्र के	
	(i) सामाजिक कार्यकर्ता एक	सदस्य
	(ii) उपभोक्ता एक	सदस्य
	(iii) महिला उपभोक्ता एक	सदस्य
(ण)	जिला रसद अधिकारी	सदस्य सचिव

(ii) आवंटन सलाहकार समिति के मनोनीत सदस्यों द्वारा अनियमितता बरतने पर इन्हें हटाये जाने का अधिकार राज्य सरकार को होगा।

(iii) आवंटन सलाहकार समिति के सभी सदस्यों से इस बाबत शपथ–पत्र प्राप्त किया जाये कि उचित मूल्य दुकानों के आवेदकों के साक्षात्कार की सूची में उसके परिवार का कोई सदस्य सम्मिलित नहीं है। यदि कोई परिवार का सदस्य साक्षात्कार के लिए पात्र है, तो उक्त चयनकर्ता साक्षात्कार समिति की बैठक में भाग नहीं लेगा।

(iv) विशेष आमंत्रित सदस्यों को आवंटन सलाहकार समिति की बैठक में तभी आमंत्रित किया जावे, जबकि प्राथमिकता क्रम 4(क) (i), (ii) एवं (iii) के आवेदन प्राप्त हुए हों तथा साक्षात्कार के लिए पात्र हो।

4. **चयन प्रकिया एवं प्राथमिकताः–**

आवंटन सलाहकार समिति प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार कर अपनी अभिशंषा जिला कलक्टर को प्रस्तुत करेगी। साक्षात्कार द्वारा आवेदकों के प्रार्थना पत्रों पर विचार के समय आवेदक के चयन के प्राथमिकता क्रम में आवंटन सलाहकार समिति द्वारा चयन प्रक्रिया निम्नानुसार दो चरणों में पूर्ण की जावेगीः–

(क) प्रथम वरीयता (संस्थागत) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्राथमिकता क्रम के आधार पर चयन किया जावेगाः–

(i) ग्राम सेवा सहकारी समिति/लैम्पस (वृहतर क्षेत्रीय बहुउद्देशीय सहकारी समिति)/ दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति, जो कि सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हैं।

(ii) "महिला स्वयं सहायता समूह; जो, राज्य सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग से चयनित अथवा मान्यता प्राप्त है तथा न्यूनतम 3 वर्ष कार्य का अनुभव हो।

(iii) निगमित निकाय

नोटः– आवेदक/समितियों/समूह/निकाय में अध्यक्ष/सचिव/प्रबंधक का कम्प्युटर दक्ष एवं शैक्षणिक योग्यताओं को पूर्ण करना अनिवार्य होगा। इस बाबत प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

विशेषः– यदि विज्ञापनं किये जाने के पश्चात क्रम संख्या **(i)**, **(ii)** व **(iii)** के अन्तर्गत एक ही आवेदन प्राप्त होता है, तो उसको प्राधिकार पत्र जारी किया जावेगा। इस श्रेणी के दो या दो से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर ही आवंटन हेतु निर्धारित प्रकिया अपनायी जावेगी।

(ख) द्वितीय वरीयता व्यक्तिगत (प्रथम वरीयता में आवेदन उपलब्ध नहीं होने पर)

1. निशक्त जन
2. महिलायें
   (i) शहीद की विधवा, (वीरांगना)
   (ii) विधवा
   (iii) परित्यक्ता

कम्प्यूटर में न्यूनतम जानकारी Rajasthan Knowledge Corporation Limited (RKCL) या समकक्ष सरकारी अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान का तीन माह का आधारभूत प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।

3. भूतपूर्व सैनिक।
4. बेरोजगार

(ग) आवंटन सलाहकार समिति के सदस्यों के द्वारा किसी व्यक्ति/संस्था का चयन बहुमत के आधार पर किया जायेगा जिसमें राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा। किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में जिला कलक्टर द्वारा राज्य सरकार को पत्रावली अग्रेषित की जावेगी। ऐसे प्रकरणों में राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा। जिसे किसी न्यायालय में चुनौती नही दी जा सकेगी।

(घ) किसी उचित मूल्य दुकान के लिए एक ही आवेदक द्वारा आवेदन किया गया है और वह अर्हताऐं पूर्ण करता है, तो उसका चयन किया जावेगा।

(ड) आवंटन सलाहकार समिति की बैठक हेतु जिला रसद अधिकारी सहित तीन का कोरम पूर्ण किया जाना आवश्यक है।

5. अन्य प्रावधान

(i) बारां जिले की किशनगंज एवं शाहबाद तहसील क्षेत्रों की उचित मूल्य दुकानों में से 25 प्रतिशत दुकानें स्थानीय सहरिया आदिम जाति के आवेदकों को प्राथमिकता से आवटित की जावेगी।

(ii) वर्तमान में कार्यरत सभी प्राधिकृत उचित मूल्य दुकानदार एक वर्ष की अवधि में कम्पयुटर का प्रशिक्षण आवश्यक रूप से प्राप्त करेंगे और प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। निर्धारित एक वर्ष की अवधि में प्रशिक्षण प्राप्त कम्प्यूटरदक्ष नही होने पर प्राधिकार पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा। प्रशिक्षण अवधि (विशेष परिस्थितियों में ही) एक वर्ष के लिये कलक्टर की अनुशंषा पर राज्य सरकार के स्तर पर बढायी जा सकेगी।

(iii) द्वितीय वरीयता के अन्तर्गत चयनित उचित मूल्य दुकानदार की कार्य अवधि अधिकतम 60 वर्ष की आयु तक होगी। यह उम्र की सीमा समस्त व्यक्तिगत उचित मूल्य दुकानदार (पुराने एवं नये) पर लागू होगी।

6. प्राधिकार पत्र जारी करना:—

(i) उचित मूल्य दुकान आवंटन सलाहकार समिति की अनुशंषा का राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन होने के 07 दिवस की अवधि में सभी संबंधित चयनित आवेदकों को जिला रसद अधिकारी द्वारा उनके उचित मूल्य दुकानदार चयनित होने की सूचना दी जायेगी। संबंधित उचित मूल्य दुकानदार द्वारा निम्न अवधि में निर्धारित आवश्यक औपचारिकताओं का संपादन किया जायेगा:—

क्र सं	कार्य का विवरण	निर्धारित अवधि
1	प्रतिभूति राशि जमा कराना	चयन आदेश जारी होने की दिनांक से अधिकतम 15 दिवस
2	उचित मूल्य दुकानदार द्वारा प्राधिकार पत्र प्राप्त करना	प्रतिभूति राशि जमा कराने की तारीख से अधिकतम 15 दिवस
3	उचित मूल्य दुकानदार द्वारा वितरण कार्य प्रारंभ करना	प्राधिकार प्राप्त करने की तिथि से अधिकतम एक माह

(ii) उक्त अवधि समाप्त होने के बाद अधिकतम एक माह का रियायत अवधि काल (Grace period) जिला कलक्टर द्वारा बढाया जा सकेगा। रियायत काल की समाप्ति के पश्चात ऐसे प्रकरणों को राज्य सरकार के निर्णयार्थ प्रेषित किये जायेगे।

(iii) चयनित अभ्यर्थियों को जिला कलक्टर द्वारा फोटो युक्त प्राधिकार पत्र जारी किया जावेगा जिसके साथ उचित मूल्य दुकानदार का परिचय पत्र भी जारी किया जायेगा।

सतर्कता समितियॉ–

वितरण व्यवस्था पर निगरानी हेतु राज्य सरकार द्वारा विभिन्न स्तरों पर सतर्कता समितियों का निम्नानुसार गठन किया गया है–

(अ) जिला स्तरीय सतर्कता समिति–

1	जिला कलक्टर	अध्यक्ष
2	जिले के समस्त सांसद	सदस्य
3	जिले के समस्त विधायक	सदस्य
4	जिला प्रमुख	सदस्य
5	जिले के समस्त प्रधान (पंचायत समिति)	सदस्य
6	जिले की समस्त नगरपालिकाओं, परिषदों/निगमों के अध्यक्ष/प्रशासक	सदस्य
7	उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार	सदस्य
8	उपभोक्ता संगठनों के दो प्रतिनिधि (कलक्टर द्वारा मनोनीत)	सदस्य
9	जिला रसद अधिकारी	सदस्य सचिव

इस समिति का क्षेत्र सम्पूर्ण जिला होगा।

(ब) तहसील स्तरीय सतर्कता समिति–

1	प्रधान, पंचायत समिति	अध्यक्ष
2	उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार (उपखण्ड मुख्यालय वाली तहसीलों में उप–अध्यक्ष संबंधित उपखण्ड अधिकारी होंगे एवं तहसीलदार मात्र सदस्य होंगे)	उपाध्यक्ष

3	स्थानीय निकाय (नगरपालिका) के दो सदस्य जिनका मनोनयन अध्यक्ष, स्थानीय निकाय द्वारा किया जायेगा।	सदस्य
4	पंचायत समिति के दो सदस्य, जिन्हें संबंधित प्रधान द्वारा मनोनीत किया जायेगा।	सदस्य
5	स्थानीय विधायक	सदस्य
6	विकास अधिकारी, पंचायत समिति	सदस्य
7	दो उपभोक्ता (मनोनयन द्वारा)	सदस्य
8	सामाजिक /उपभोक्ता संगठन के दो सदस्य (मनोनयन द्वारा)	सदस्य
9	संबंधित प्रवर्तन अधिकारी/प्रवर्तन निरीक्षक	सदस्य सचिव

इस समिति का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण तहसील क्षेत्र होगा। उपखण्ड मुख्यालय पर स्थित तहसीलों एवं अन्य तहसीलों में क्रमांक 7–8 सदस्यों का मनोनयन क्रमशः उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार द्वारा किया जायेगा।

(स) उचित मूल्य दुकान स्तरीय सतर्कता समिति–

शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में उचित मूल्य दुकान स्तरीय सतर्कता समिति का गठन किया जावेगा, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे–

(1) शहरी क्षेत्र के लिए–

1	वार्ड पार्षद		अध्यक्ष
2	सामाजिक कार्यकर्ता (दो)	का मनोनयन जिला मुख्यालय पर	सदस्य
3	उपभोक्ता (एक)	जिला कलक्टर द्वारा एवं अन्य	सदस्य
4	सेवानिवृत अधिकारी/ कर्मचारी (स्थानीय निवासी)	स्तर पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा किया जायेगा।	सदस्य

(2) ग्रामीण क्षेत्र के लिए–

1	सरपंच	अध्यक्ष
2	उपभोक्ता (एक) का मनोनयन संबंधित	सदस्य
3	संबंधित विद्यालय उपखण्ड अधिकारी का प्रधानाध्यापक/अध्यापक द्वारा किया जावेगा।	सदस्य
4	सेवानिवृत अधिकारी/कर्मचारी (स्थानीय निवासी)	सदस्य
5	उपभोक्ता /सामाजिक संगठन का कार्यकर्ता	सदस्य
6	पंच (एक)	सदस्य

विभागीय परिपत्र दिनांक 11.01.2012 के द्वारा जिला एवं तहसील स्तर की निगरानी समितियों को प्रभावी बनाते हुए उपभोक्ता सप्ताह के पश्चात प्रत्येक माह में जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक प्रत्येक माह उस दिन आयोजित की जावेगी, जिस दिन जिलों में सतर्कता समिति की मासिक बैठक आयोजित की जाती है। तहसील स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक माह के प्रथम सप्ताह में शुक्रवार को आवश्यक रूप से आहूत

करने के निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें गत माह में राशन सामग्री के आवंटन, उठाव, वितरण की समीक्षा की जाती है। ये समितियॉं राशन सामग्री के संबंध में शिकायतों, आवश्यकताओं एवं समस्याओं के निराकरण के संबंध में भी अपनी टिप्पणी एवं सुझावों से राज्य सरकार को अवगत करायेंगी।

जनप्रतिनिधियों को उचित मूल्य दुकान की जॉच करने हेतु अधिकार–

राज्य सरकार द्वारा आदेश दिनांक 25.02.2011 जारी करते हुए उचित मूल्य की दुकानों पर निगरानी हेतु जॉच एवं निरीक्षण के लिए उनके निर्वाचन क्षेत्र में समस्त सांसद, विधायक, नगर निगम के महापौर, नगर परिषद के सभापति, नगरपालिका के चेयरमेन, जिला प्रमुख एवं पंचायत समितियों के प्रधान, पंचायत समितियों के सदस्यगण, जिला परिषद सदस्य, नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका के पार्षद तथा ग्राम पंचायतों के सरपंच/वार्ड पंचों को राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया गया है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रभावी बनाए जाने के क्रम में विभाग द्वारा निम्नांकित कदम उठाए गए है:–

- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उपभोक्ताओं को खाद्यान्न की पहुंच सुनिश्चित करने हेतु राज्य में राशन टिकट व्यवस्था लागू है।
- उचित मूल्य दुकानों के आवंटन हेतु नवीन दिशा निर्देश दिनांक 09.02.2015 को जारी किये गये है।
- प्रवर्तन अधिकारियों/निरीक्षकों के निरीक्षण व भ्रमण को प्रभावी बनाना।
- नियंत्रित वस्तुओं की उचित मूल्य दुकान पर पहुंच सुनिश्चित कराने एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और प्रभावी बनाने के उद्धेश्य से उचित मूल्य दुकान स्तर पर अनलोडिंग के समय सतर्कता समिति के सदस्यों, पटवारी, ग्रामसेवक, सरकारी कर्मचारी अथवा किसी निगम या सहकारी संस्था के कार्मिक द्वारा सत्यापन कराये जाने के निर्देश जारी किये गये।
- ग्रामीण क्षेत्रों में राशन सामग्री का सत्यापन आगामी माह की 5 तारीख तक सरपंच ग्राम पंचायत से कराया जाकर वितरण किया जावेगा। विभाग का यह प्रयास रहेगा कि सम्पूर्ण राशन सामग्री का उठाव 15 तारीख से पूर्व किया जाकर राशन की दुकानों पर पहुंच सुनिश्चित की जावे।
- सम्पूर्ण राज्य में उपभोक्ता पखवाडा दिनांक 10.11.2014 से प्रत्येक माह की 10 तारीख से 24 तारीख तक रखा गया है। उचित मूल्य दुकानें पूरे माह खुली रहेगी तथा राशन सामग्री का वितरण किया जावेगा। उचित मूल्य दुकानों के खुली रहने के समय में एकरूपता की गई है:–

माह	समय
उपभोक्ता पखवाडा प्रत्येक माह 10 से 24 तारीख तक	प्रातः 9 बजे से सायं 5 बजे तक (अपरान्ह 01 से 02 तक भोजन अवकाश)
1 अप्रेल से 30 सितम्बर तक	प्रातः 8 से दोपहर 1 बजे तक
1 अक्टूबर से 31 मार्च तक	प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक
साप्ताहिक अवकाश का दिन निर्धारित करने के लिये जिला कलक्टर्स को अधिकृत किया गया है। उपभोक्ता पखवाडे की अवधि में कोई अवकाश नहीं रहेगा।	

उपखण्ड अधिकारियों को खण्ड 8 व 9 के अधीन शक्तियॉ

विभाग द्वारा दिनांक 17.01.2012 को अधिसूचना जारी की जाकर जिला मुख्यालय पर पदस्थापित उपखण्ड अधिकारी के अलावा अन्य समस्त उपखण्ड अधिकारियों को अपने–अपने क्षेत्राधिकार में राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 के खण्ड 8 और 9 के अधीन शक्तियॉ प्रदत्त की गई है, जिसके तहत अपने क्षेत्र के अन्तर्गत अनियमितता पाए जाने पर उचित मूल्य दुकान के प्राधिकार पत्र को निलम्बित एवं निरस्त कर सकेंगे एवं विभागीय प्रकरण दर्ज कर सकेंगे। समस्त उपखण्ड अधिकारियों को उनके क्षेत्र में प्रत्येक माह 15 उचित मूल्य की दुकानों के मासिक निरीक्षण हेतु मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं। विभागीय परिपत्र दिनांक 23.12.2011 द्वारा उपखण्ड अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया गया है कि वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत गेहूँ, केरोसीन एवं चीनी के अतिरिक्त गैर पीडीएस सामग्री पर भी निगरानी रखेंगे।

ग्राम पंचायतों को अधिकार

विभागीय परिपत्र दिनांक 11.01.2012 द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता एवं जवाबदेही लाने हेतु प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के समस्त उचित मूल्य दुकानदार अपने संबंधित ग्राम पंचायत की प्रत्येक माह की 5 तारीख को आयोजित बैठक में गत माह के दौरान उचित मूल्य दुकान में वितरण की गई सभी पीडीएस एवं गैर पीडीएस सामग्री के आवंटन, उठाव, वितरण एवं माह के अन्त में शेष सामग्री की मासिक सूचना सहित आवश्यक रूप से उपस्थित होंगें एवं ग्राम पंचायत को उपरोक्तानुसार समस्त जानकारी उपलब्ध कराने तथा वितरण व्यवस्था का सत्यापन सरपंच, ग्राम पंचायत से कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के अन्तर्गत विभाग द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी नियुक्ति बाबत निम्नानुसार आदेश प्रसारित किये हुए हैः–

क्र.सं.	विभाग	राज्य लोक सूचना अधिकारी	प्रथम अपीलीय अधिकारी
1.	खाद्य,नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान, जयपुर	1.उपायुक्त (मुख्यालय) एवं शासन उप सचिव 2.उपायुक्त (प्रथम) एवं शासन उप सचिव 3.वित्तीय सलाहकार 4.सहायक आयुक्त (खाद्य)– नोडल अधिकारी	प्रमुख शासन सचिव (खाद्य)
2.	जिला स्तर पर	जिला रसद अधिकारी	जिला कलक्टर (रसद)

उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के अनु.(बी) के अन्तर्गत 17 बिन्दुओं पर विभागीय मैन्यूअल प्रकाशित किया जा चुका है। इस मैन्यूअल की प्रति विभाग मुख्यालय पर सर्वसाधारण के लिए अवलोकनार्थ उपलब्ध है। अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रार्थना पत्रों का निर्धारित अवधि में अथवा इससे पूर्व निस्तारण किया जाता है।

उपभोक्ता मामले विभाग

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम,1986 के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य स्तर पर राज्य आयोग एवं जिला स्तर पर सभी 33 जिलों में पूर्णकालिक जिला मंचों का गठन किया हुआ है। जयपुर जिले में 3 तथा जोधपुर जिले में 1 अतिरिक्त पूर्णकालिक मंच गठित है। उपभोक्ता आन्दोलन को गति प्रदान करने हेतु राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रयास किये गये हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :–

उपभोक्ता मामले विभाग की स्थापना

उपभोक्ता मामले विभाग के कार्य संचालन हेतु संबंधित अधिकारियों को स्वीकृत पदों का कार्यभार दे दिया गया है। उपभोक्ता मामले विभाग के भवन का चिन्हीकरण प्रकियाधीन है। उपभोक्ता मामले विभाग का गठन वर्तमान सरकार के गत शासनकाल की महत्वपूर्ण घोषणा है, जिसका पूर्ण कियान्वयन शीघ्र किया जाना है। वर्तमान में उद्योग विभाग से सम्बद्ध विधिक माप विज्ञान (बाट एवं माप) के कार्य को उद्योग विभाग से उपभोक्ता मामलात विभाग में जोडे जाने हेतु एवं राजस्थान कार्य विधिक नियमों में संशोधन के क्रम में मंत्रिपरिषद प्रारूप मुख्य सचिव महोदय/माननीय मुख्यमंत्री महोदया के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया है। इस आलोक में मुख्य सचिव महोदय द्वारा दिनांक 17.07.2014 को लीगल मेट्रोलोजी व उपभोक्ता मामले विभाग की बैठक आयोजित की गई है। लीगल मेट्रोलोजी को उपभोक्ता मामले विभाग की कार्य सूची में सम्मिलित करने हेतु अन्य राज्यों में इस हेतु स्थापित पद्धति, प्रतिमान व व्यवस्था की जानकारी करने के निर्देश दिये गये। इस आलोक में भारत सरकार से प्राप्त मार्गदर्शन के क्रम में मंत्रिमण्डल ज्ञापन प्रकियाधीन है।

उपभोक्ता क्लबों को सक्रिय किया जाना

राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्थापित 1000 उपभोक्ता क्लबों को सक्रिय किये जाने की कार्य–योजना दिनांक 12.03.2014 को विभाग के स्तर पर जारी कर दी गई है। इस क्रम में राजस्थान उपभोक्ता कल्याण कोष की बैठक दिनांक 04.08.2014 में सक्रिय उपभोक्ता क्लबों को राजस्थान उपभोक्ता कल्याण कोष से आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया गया है। अब उपभोक्ता क्लब योजना पूर्णतः राज्य सरकार की वित्तपोषित योजना है।

राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष

उपभोक्ता हितों के संरक्षण एवं संवर्द्धन तथा उपभोक्ता संरक्षण संबंधी कार्यक्रमों/योजनाओं के लिए वित्तीय व्यवस्था उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य में उपभोक्ता कल्याण कोष स्थापित किया गया है। इस कोष में भारत सरकार द्वारा 27.00 लाख रूपये का योगदान दिया गया तथा इतनी ही राशि (27.00लाख) राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई। कोष के संचालन हेतु राज्य में पृथक से राजस्थान उपभोक्ता कल्याण कोष नियम बनाये गये है।

राज्य स्तरीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का पुनर्गठन

राज्य स्तरीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद के पुनर्गठन किये जाने की अधिसूचना दिनांक 04.01.2014 को जारी की जा चुकी है। राज्य परिषद के पुनर्गठन के पश्चात् पहली बैठक दिनांक 06.08.2014 को आयोजित की जाकर उपभोक्ताओं के हितों में व्यापक निर्णय लिये गये है।

राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग एवं जिला मंचों का सुदृढीकरण

राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग एवं जिला मंचों के सुदृढीकरण के लिये 16.66 करोड रूपये के प्रस्ताव 12वें प्लान के अन्तर्गत दिनांक 13.11.2014 को भारत सरकार को भेजे गये है। उक्त राशि से आयोग एवं जिला मंच भूमि–भवन, साधन–संसाधन की दृष्टि से आत्मनिर्भर एवं सुदृढ होगें, जो उपभोक्ताओं को त्वरित न्याय प्रदान किये जाने में सहायक होंगे।

उपभोक्ता सलाहकार समिति का गठन

उपभोक्ता मामले विभाग के लिये दिनांक 09.10.2014 को उपभोक्ता सलाहकार समिति का गठन किया गया। यह समिति वर्तमान समस्त योजनाओं की प्रासांगिकता का परीक्षण करेगी एवं योजनाओं में परिवर्तन, परिवर्द्धन के संबंध में सुझाव देगी। इसके साथ ही यह समिति सामूहिक उपभोक्ता हितों को चिन्हित करेंगी तथा उपभोक्ताओं से संबंधित विषय राज्य सरकार के ध्यानार्थ प्रस्तुत करेगी।

उपभोक्ता जागृति सप्ताह का आयोजन

राज्य में उपभोक्ता आन्दोलन को गति प्रदान करने की दृष्टि से उपभोक्ता जागृति सप्ताह के आयोजन हेतु भारत सरकार को प्रस्ताव भेजे गये है। उक्त प्रस्तावों के अन्तर्गत सम्पूर्ण राज्य में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता जागृति से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागृत किया जायेगा तथा उपभोक्ता शिक्षा का सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाना प्रस्तावित है।

उपभोक्ता संगठनों के साथ मासिक संवाद

उपभोक्ता आन्दोलन में स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उक्त भूमिका के सार्थक उपयोग हेतु एवं राज्य की उपभोक्ता विषयक समस्याओं से अवगत होने की दृष्टि से उपभोक्ता संगठनों के साथ मासिक संवाद कार्यक्रम प्रत्येक माह के तीसरे गुरूवार को प्रारम्भ किया गया है।

राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस का व्यापक आयोजन

दिनांक 24 दिसम्बर,2014 को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस राज्य स्तर एवं सभी जिलों में मनाया गया। इसमें जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद की बैठक एवं महिला संगोष्ठी आयोजित की गयी। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय लोकगीत एवं कविता प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, कठपुतली/नुक्कड नाटकों का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस का राज्य स्तरीय समारोह जयपुर में आयोजित किया गया।

उपभोक्ता हैल्पलाइन

राज्य में केन्द्र सरकार के निर्णयानुसार 15 मार्च, 2011 को "विश्व उपभोक्ता दिवस" के अवसर पर उपभोक्ता हैल्पलाईन का शुभारंम्भ किया गया है। राज्य स्तरीय उपभोक्ता हैल्पलाइन का संचालन राज्य की स्वैच्छिक उपभोक्ता संस्था कन्ज्यूमर्स एक्शन एण्ड नेटवर्क सोसायटी "केन्स" जयपुर द्वारा सुचारू रूप से किया जा रहा है। हैल्पलाइन का टोल फ्री नम्बर 18001806030 है। राज्य उपभोक्ता हैल्पलाइन को ऑनलाइन किया गया, जो www.consumeradvice.in पर उपलब्ध है। माह दिसम्बर,2014 तक 16294 उपभोक्ताओं ने हैल्पलाइन पर सलाह प्राप्त की है।

वास्तविक आय–व्यय एवं संशोधित प्रावधान

वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 की वास्तविक आय एवं व्यय तथा वर्ष 2013–14 के मूल बजट अनुमान एवं संशोधित बजट अनुमान तथा 2014–15 के मूल बजट अनुमान का विवरण **परिशिष्ट–"9"** पर संलग्न है। कुल आय एवं व्यय का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :–

(राशि लाखों में)

आय एवं व्यय का प्रकार	वास्तविक कुल आय एवं व्यय 2012–13	वास्तविक कुल आय एवं व्यय 2013–14	मूल बजट अनुमान 2013–14	संशोधित बजट अनुमान 2013–14	बजट अनुमान 2014–15
विभागीय कार्यालय संचालन संबंधी विविध व्यय (आयोजना भिन्न मद)	3344.97	3795.79	4043.44	4040.30	4202.58
आयोजना भिन्न मद की योजनाओं के व्यय	31797.87	26921.08	31850.26	27332.09	151.06
आयोजना मद की योजनाओं के व्यय	19027.01	54638.44	13734.01	71628.34	74732.33
केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के व्यय	29.02	13.44	1.53	17.41	522.79
विभाग की विविध आय	1950.93	4339.69	1477.05	3027.02	2331.03

आयोजना भिन्न मद की योजनाऐं :–

अन्त्योदय अन्न योजना, मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजना के तहत बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल अन्न योजना, फूड स्टेम्प योजना, सहरिया–कथौडी अन्न योजना, चल प्रयोगशाला एवं केरोसीन परिवहन समानीकरण योजना।

आयोजना मद की योजनाऐं :–

अन्नपूर्णा योजना, राशन टिकट योजना, कुष्ठ रोग ग्रस्त/मुक्त लोगों की अन्न योजना, धरेलू गैस सिलेण्डर पर अनुदान, समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद पर बोनस भुगतान, कम्प्यूटराइजेशन एण्ड डिजिटाइजेशन ऑफ राशनकार्डस् एवं कम्प्यूटराइजेशन ऑफ टीपीडीएस।

केन्द्र प्रवर्तित योजनाऐं :–

उपभोक्ता मंचों का आधुनिकीकरण एवं सुदृढीकरण, उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम एवं राज्य उपभोक्ता हैल्पलाइन की स्थापना एवं केरोसीन सब्सिडी का सीधा ट्रांसफर।

विभाग की प्रशासनिक संरचना **परिशिष्ट–"10"** पर अंकित है।

राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि0

1. निगम की स्थापना

माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार की वर्ष 2010–11 की बजट घोषणा की क्रियान्विति के क्रम में राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रभावी एवं सुदृढ़ बनाने हेतु राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि0 की दिनांक 8–12–2010 को स्थापना की गयी थी।

राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि. का रजिस्ट्रेशन दिनांक 08.12.2010 को कंपनी एक्ट की धारा 617 के अन्तर्गत किया गया है तथा रजिस्ट्रार कम्पनी मामले, राजस्थान जयपुर से दिनांक 27.12.2010 को निगम द्वारा व्यापार प्रारम्भ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया।

2. निगम की अंश पूँजी

निगम की अधिकृत अंश पूँजी 100 करोड़ रूपये है। वर्तमान में प्रदत्त अंश पूँजी 50 करोड़ रूपये है। 50 करोड़ रूपये के अंशों में से 49.93 करोड़ रूपये के अंश महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम हैं तथा शेष 7.00 लाख रूपये के अंश निगम के सात निदेशकों के नाम हैं।

3. निगम का संचालक मण्डल

क्र.सं.	पद नाम	संचालक मण्डल में पद
1	अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि विभाग	निदेशक
2	प्रमुख शासन सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग एवं उपभोक्ता मामले विभाग	अध्यक्ष
3	प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग	निदेशक
4	प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम	निदेशक
5	विशिष्ट शासन सचिव,वित्त(बजट)विभाग	निदेशक
6	प्रबन्ध निदेशक, राज. राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि0	निदेशक
7	रजिस्टार, सहकारी समितियॉं	निदेशक

निगम के विगत चार वर्षों के वित्तीय परिणाम

(राशि लाख में)

क्र. सं.	विवरण	वर्ष 2010–11	वर्ष 2011–12	वर्ष 2012–13	वर्ष 2013–14
1.	Profit before Interst & Depreciation	–84.29	1419.64	1369.96	944.25
2	Less: Interest	Nil	Nil	Nil	Nil
3	Operational Profit/Loss	–84.29	1419.64	1369.96	944.25
4	Less: Depreciation	0.11	2.90	49.41	40.71
5	Profit/Loss after Interest & Depreciation	–84.40	1416.74	1320.55	903.54
6	Profit/Loss for appropriation	–84.40	925.72	861.29	504.63

5. निगम के कार्य एवं उद्देश्य

5.1 निगम भारत सरकार द्वारा आवंटित खाद्यान्न का भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से उठाव कर पूरे प्रदेश में उचित मूल्य की दुकानों पर आपूर्ति करेगा। निगम परिवहन व आपूर्ति हेतु आवश्यक निविदायें एवं ठेके आदि की कार्यवाही सम्पन्न करेगा।

5.2 राज्य के उपभोक्ताओं के उपयोग हेतु निगम गैर पी.डी.एस. सामग्री, बड़े निर्माताओं (Manufacturers) से क्रय कर बाजार से सस्ते दामों पर उचित मूल्य की दुकानो के माध्यम से उपलब्ध करायेगा।

5.3 चूंकि उचित मूल्य की दुकानों पर प्रभावी आपूर्ति एवं व्यवस्था बनाना निगम का दायित्व होगा, अतः निगम तहसील स्तर पर जहाँ केन्द्रीय भण्डारण निगम या राज्य भण्डारण निगम के गोदाम उपलब्ध नहीं हैं वहाँ राशन सामग्री के भण्डारण हेतु गोदाम आदि किराये पर लेने की व्यवस्था करेगा। लेकिन जहाँ पर राज्य भण्डारण निगम किराये पर गोदाम लेकर किराये पर उपलब्ध कराने की स्थिति में होगा, वहाँ पर निगम भण्डारण हेतु स्वयं गोदाम किराये पर नहीं लेगा।

5.4 निगम राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप कार्य करेगा।

5.5 बाजार में उपभोक्ता वस्तुओं जैसे दलहन, खाद्य, तेल, चीनी आदि के दाम बढने पर निगम बाजार में हस्तक्षेप कर इन उपभोक्ता वस्तुओं को उपलब्ध कराने का कार्य करेगा।

5.6 इसके साथ ही निगम उचित मूल्य की दुकानों पर राशन सामग्री के अतिरिक्त गैर पी.ड़ी.एस. सामग्री जैसे आयोडाइज्ड नमक, चाय, वाशिंग सोप, पिसे हुए मसाले आदि भी उपलब्ध कराता है ताकि आम उपभोक्ताओं को रोजमर्रा की उपभोक्ता वस्तुएं प्रतिस्पर्द्धी कीमतों पर प्राप्त हो सके।

5.7 निगम राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये जाने वाले निर्देशों के अन्तर्गत अन्य कार्य भी करेगा।

6. निगम में स्वीकृत पदों की स्थिति

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलें विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान सरकार, जयपुर के द्वारा दिनांक 24.11.2010 को निगम के त्रिस्तरीय प्रशासनिक ढांचे के लिए पदों एवं सेवाओं के सृजन की स्वीकृति जारी की गई। खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग के आदेश दिनांक 24.11.2010, 28.06.2011, 17.12.2012 एवं 04.06.2013 के द्वारा निगम मुख्यालय हेतु स्वीकृत/ कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण निम्न प्रकार है:–

क्र. सं.	कार्यालय स्तर	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	रिक्तयो के कारण अस्थाई व्यवस्था के रूप में कार्यरत कार्मिक
1.	निगम कार्यालय (मुख्यालय)	59	28	31	51
2.	जिला कार्यालय	272	147	125	46
3.	तहसील स्तर	488	59	429	–

7. निगम का थोक व्यापार

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्यान्न वितरण हेतु निगम को राज्य सरकार द्वारा थोक विक्रेता घोषित किया गया है। निगम का तहसील स्तर पर कोई कार्यालय नहीं होने के कारण समस्त जिलो में तहसील स्तर पर पूर्व से ही कार्यरत थोक विक्रेता अर्थात् क्रय–विक्रय सहकारी समिति, सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार एवं राजस्थान जनजाति क्षेत्रिय सहकारी विकास संघ लि. के द्वारा निगम के प्रतिनिधि के रूप में खाद्यान्न उठाव एवं वितरण का कार्य किया जा रहा है । खाद्य विभाग द्वारा निगम को राज्य स्तरीय थोक विकेता नियुक्त कर नोड़ल एजेन्सी नामित किया गया है।

8. सार्वजनिक वितरण प्रणाली

8.1 गेहूँ की आपूर्ति

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत् पूर्व में राज्य के बीपीएल, स्टेट बीपीएल अन्तोदय एवं अन्नपूर्णा परिवारों को मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा के अन्तर्गत गेहूँ का आवंटन खाद्य विभाग के द्वारा एवं वितरण का कार्य निगम के माध्यम से करवाया जा रहा था। वर्तमान में राज्य में खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 लागू हो जाने के उपरान्त खाद्य सुरक्षा के अन्तर्गत चयनित परिवारों को 5 किलो गेहूँ प्रति व्यक्ति 2 रू. प्रति किलो की दर से तथा बीपीएल एवं एसबीपीएल परिवारों को न्यूनतम 25 किलो गेहूँ एवं अन्तोदय परिवारों को 35 किलो प्रति परिवार प्रति माह 2 रू. प्रति किलो की दर से आपूर्ति किया जा रहा है। गेहूँ का लाभार्थियों को वितरण खाद्य विभाग के निर्देशों के अन्तर्गत उचित मूल्य दुकानों के द्वारा किया जा रहा है। वित्तिय वर्ष 2014–15 में अप्रैल 2014 से जनवरी 2015 तक कुल 2323861 मै. टन गेंहु के आंवटन के विरूद्ध 2309286.55 मै. टन गेहूं का उठाव कर उपभोक्ताओ को वितरित करवाया गया है।

8.2 चीनी आपूर्ति

केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 01.06.2013 से चीनी को लेवी से नियंत्रण मुक्त किया गया है। राज्यों को खुले बाजार से चीनी क्रय कर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उपलब्ध करवाने के निर्देश किये गये हैं जिसके अंतर्गत राज्य को प्रति माह 7342 मै. टन का आवंटन एवं वर्ष में एक बार त्यौहार कोटे का 5092 मैं. टन आवंटन अतिरिक्त प्राप्त होता है। इस प्रकार कुल वार्षिक आवंटन 93196 मै.टन प्राप्त होता है। जून 2013 से अगस्त 2014 तक कुल आंवटन 120314 मै. टन था। जिसके विरूद्ध 115765.65 मै. टन चीनी आपूर्ति हो चुकी है। जुलाई अगस्त की अन्तर मात्रा के लिए कार्यवाही प्रकियाधीन है। माह सितम्बर 2014 की चीनी आपूर्ति हेतु एल 2 बारामती एग्रो लिमिटेड को कार्यादेश दिनांक 27.01.2015 को दिये जा चुके है, जिसकी आपूर्ति प्रकियाधीन है। माह अक्टुबर 2014 से मार्च 2015 तक के लिये टेण्डर किये गये थे जिसकी तकनीकी निविदा 16.01. 2015 को खोली जा चुकी है तथा वित्तीय निविदा खोले जाने की कार्यवाही प्रकियाधीन है।

भारत सरकार का अनुदान :–

भारत सरकार से उक्त योजना के अन्तर्गत 18500 प्रति मै. टन की दर से एकमुश्त चीनी अनुदान राज्य सरकार को दिया जाता है। जिसके क्लेम त्रैमासिक आधार पर तैयार कर चीनी निदेशालय भारत सरकार कृषि भवन, नई दिल्ली को प्रस्तुत किये जाते है। निगम द्वारा जून 2013 से जून 2014 तक के कुल 105630 मै. टन राशि रूपये 195.42 करोड के चीनी अनुदान क्लेम भारत सरकार को भिजवाये जा चुके है। भारत सरकार द्वारा निगम को उक्त क्लेमो की राशि का पुनर्भरण किया जा चुका है। जुलाई 2014 से सितम्बर 2014 तक की पूर्ण चीनी प्राप्त होने पर उक्त अवधि का क्लेम भारत सरकार को भिजवाया जा सकेगा।

01.06.2013 से पूर्व सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत भारत सरकार द्वारा लेवी की चीनी विभिन्न मिलो से राज्य को आंवटित की जाती थी। निगम द्वारा वर्ष 2012–13 से इस व्यवस्था के तहत कार्य प्रारम्भ किया गया था। भारत सरकार की पुनर्भरण एजेन्सी भारतीय खाद्य निगम द्वारा वर्ष 2012–13 का थोक/खुदरा विक्रेताओ का मार्जिन निर्धारित नही होने के कारण निगम की लगभग 23.97 करोड़ रूपये की राशि रोक ली गई है। इसलिए निगम स्तर से दिनांक 27.11.2014 को वर्ष 2012–13 के लिए मार्जिन प्रस्ताव तैयार कर राजस्थान सरकार के माध्यम से चीनी निदेशालय भारत सरकार को भिजवाये जा चुके है तथा मार्जिन प्रस्ताव भारत सरकार के स्तर पर अनुमोदनार्थ विचाराधीन है।

राज्य सरकार का अनुदान :–

वर्ष 2013–14 में राज्य सरकार द्वारा चीनी 13.50 रुपये प्रति किग्रा के स्थान पर 10 रूपये की दर से लक्षित वर्ग को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत चीनी उपलब्ध करवाई गई थी जिसकी अन्तर राशि के लिये 38.97 करोड रूपये राज्य सरकार से प्राप्त होनी थी, जिसके एवज में राज्य सरकार द्वारा 30 करोड रूपये निगम को उपलब्ध कराये गये है शेष 8.97 करोड़ रूपये राज्य सरकार से प्राप्त करने के लिए दिनांक 10.07.2014 एवं 07.10.2014 को लिखा जा चुका है।

वर्ष 2014–15 के लिये अनुमानित अन्तर राशि 30 करोड़ रूपये है, जो राज्य सरकार द्वारा निगम को उपलब्ध कराने हैं इस हेतु राज्य सरकार को दिनांक 26.09.2014 एवं 18.11.2014 को लिखा जा चुका है। इस प्रकार वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 के लिए राज्य सरकार से 38.97 करोड़ रुपये आने शेष है।

9. गैर पी.ड़ी.एस. वस्तुओं का विपणन कार्य

माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन हेतु नॉन पीडीएस सामग्री के अन्तर्गत विभिन्न सामग्री उपलब्ध करवाने के संबंध में कार्यवाही की गई । राज्य में गैर पी.डी.एस. वस्तुओं की उपभोक्ताओं को उचित दरों तथा उच्च गुणवत्ता में निर्बाध आपूर्ति हेतु राज्य सरकार के निर्देशानुसार निगम द्वारा गैर पीडीएस वस्तुओं के उत्पादनकर्ता/निर्माताओं एवं थोक विक्रेताओं से प्रथम चरण में आयोडीनयुक्त नमक, चाय एवं साबुन को उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से आम उपभोक्ताओं को वितरण करने हेतु आवश्यक निविदायें जारी की गई। प्राप्त निविदाओं में न्यूनतम मूल्य पर चाय एवं आयोडाईज वाश नमक आपूर्ति करने वाली कंपनी/फर्मो को आपूर्ति हेतु कार्यादेश दिए गए

तथा अगस्त 2011 से निगम की ब्राण्ड अन्तर्गत (राज ब्राण्ड) चाय एवं नमक का वितरण उपभोक्ताओं को प्रारंभ किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2013–14 में गैर–पीडीएस वस्तुये यथा चाय साबुन, मसाले एवं नमक की सूचना का विवरण :–

क्र.सं.	वस्तुओं का नाम	फर्मो द्वारा आपूर्ति की गई मात्रा किलो में	फर्मो द्वारा जमा कराई मार्जिन मनी की राशि
1	चाय	18,76,575	3,07,65,136
2	साबुन	7,15,870	7,46,052
3	मसाले	14,76,711	85,81,250
4	नमक	3851750	962937.50

वर्तमान में गैर पीडीएस मदों में चाय, पिसे हुए पैक्ड मसाले (हल्दी, मिर्ची एवं धनिया) एवं फ्री फलो आयोडाइज्ड नमक आदि की उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से आम उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवाने के लिये आपूर्ति हेतु खुली निविदाएं आमंत्रित कर प्राप्त निविदाओं में न्यूनतम मूल्य पर आपूर्ति करने वाली कंपनी/फर्मो को आपूर्ति हेतु कार्यादेश दिए गए।

10. अन्नपूर्णा भंडार योजना की प्रगति

उचित मूल्य दुकानों पर सार्वजनिक निजी सहभागिता के माध्यम से जनसाधारण को उच्च गुणवत्ता की मल्टी ब्रॉन्ड वस्तुऐं उचित एवं प्रतिस्पर्धी दरों पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक कार्य योजना प्रस्तुत की गई है, जिसका नाम 'अन्नपूर्णा भण्डार योजना' रखा गया है। इस योजना में राज्य के सात संभागों में पॉच हजार उचित मूल्य दुकानों का चयन किया जा चुका है। प्रायोगिक तौर पर जयपुर शहर में पॉच तथा उदयपुर में एक उचित मूल्य की दुकान ने अन्नपूर्णा भंडार के रूप में माह अक्टूबर, 2014 से कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। जयपुर शहर की उक्त दुकानों पर फ्यूचर ग्रुप के द्वारा लगभग 215 प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओं की सप्लाई बिक्री हेतु दी जा रही है।

इन दुकानों के माध्यम से उच्च गुणवत्ता उपभोक्ता वस्तुऐं के बारे में फीडबैक लेने पर उपभोक्ताओं ने बताया है कि वस्तुओं की गुणवत्ता व कीमत के बारे में किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। कुछ वस्तुऐं बाजार भाव से लगभग 3 से 5 प्रतिशत कम कीमत पर बिक्री की जा रही है। अन्नपूर्णा भंडार योजना के दुकानदारों द्वारा एमआरपी की दरों से कम राशि से बिक्री करते हुये उन्हें लगभग 8 से 10 प्रतिशत तक का लाभ हो रहा है। अधिकांश वस्तुओं में बाजार भाव तथा इन दुकानों की बिक्री दर में विशेष अंतर नहीं है। अभी तक इन दुकानों से क्षेत्र के उपभोक्ताओं का जुडाव कम हुआ है। पर्याप्त प्रचार प्रसार के बाद यह योजना सफल हो सकेगी।

इस योजना में कार्य करने हेतु हाईपर सिटी तथा मेट्रो ने भी अपनी सहमति दी है। मल्टी ब्रॉण्ड रिटेल चैन में अन्य ग्रुप्स को लाने के लिए रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

11. विकेन्द्रीकृत खरीद योजनान्तर्गत (DCP) अलवर जिले में रबी विपणन वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 में गेहूँ खरीद :–

राज्य में किसानों को खाद्यान्न उत्पादन का उचित मूल्य मिले, इस हेतु भारतीय खाद्य निगम द्वारा केन्द्रीय पूल में खरीद किये जा रहे गेहूँ की भाँति रबी विपणन वर्ष 2013–14 से प्रायौगिक तौर पर पॉयलेट परियोजनान्तर्गत अलवर जिलें में गेहूँ खरीद का कार्य भारत सरकार एवं राज्य सरकार के मध्य सम्पन्न MOU के तहत राज्य सरकार ने निगम को नोडल एजेन्सी, राजफैड को निगम के मार्फत गेहूँ खरीद करने हेतु "खरीद एजेन्सी" तथा राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम को "भंडारण एजेन्सी" का दायित्व सौंपा गया। जिलें में गेहूँ खरीद हेतु निम्नलिखित क्रय केन्द्र स्थापित किये गये :–

(मैट्रिक टन में)

क्र. स.	वर्ष	जिले में स्थापित क्रय केन्द्रों की संख्या	गेहूँ खरीद हेतु निर्धारित लक्ष्य	वास्तव में खरीद किये गये गेहूँ की मात्रा
1.	2013–14	35	1.50 लाख	54,936.90
2.	2014–15	37	0.80 लाख	88989.00

11.1 किसानों का पंजीयनः–

अलवर जिलें में किसानों को उनकी उपज का ऑन–लाईन भुगतान करने हेतु गेहूँ खरीद का प्रोजेक्ट तैयार करने बाबत निगम द्वारा एन.आई.सी. का सहयोग लिया गया। इस बाबत NIC को निगम द्वारा रबी विपणन वर्ष 2013–14 में 22.44 लाख रूपये तथा 2014–15 में रूपये 24.00 लाख का भुगतान किया गया। व्यापक प्रचार–प्रसार ग्राम पंचायतों के माध्यम से किया गया।

11.2 वित्तीय सहायताः–

राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन स्वरूप बोनस राशि रूपये 150/– प्रति क्वि. की दर से वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 में घोषित किया गया। बारदाना क्रय हेतु वर्ष 2013–14 में 9.88 करोड़ रूपये ऋण के रूप में राज्य सरकार द्वारा निगम को उपलब्ध कराये गये, जिसे शत प्रतिशत "राजफैड" को अग्रिम रूप में दे दी गई।

11.3 भण्डारण व्यवस्थाः–

रबी विपणन वर्ष 2013–14 में भंडारण हेतु "राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम" (भण्डारण एजेंन्सी) से निगम द्वारा अलवर एवं अलवर जिले के आसपास जिलों में 1,11,200 मैट्रिक टन क्षमता के गोदामों को एक वर्षीय आरक्षण पद्धति के तहत दिनांक 1.04.13 से 31.03.14 की अवधि के लिए भारत सरकार अथवा राज्य भंडार व्यवस्था निगम की दर/शर्तों (इनमें से जो भी कम हो) पर आरक्षित कराया गया। वर्तमान में भारत सरकार की एक वर्षीय गोदाम आरक्षण दर, रूपये 3.38 प्रति 50 किलोग्राम (6.76 प्रति

क्विंटल) प्रतिमाह है, जो दिनांक 01.04.2012 से प्रभावी है। वर्ष 2014–15 में राज्य भण्डार व्यवस्था निगम के माध्यम से वास्तविक उपयोगिता (AUB) के आधार पर अलवर एवं उसके समीपस्थ जिलों में 75,430.00 मै. टन तथा केन्द्रीय भंडार व्यवस्था निगम के 5550.000 मैट्रिक टन क्षमता के सरकारी/निजी क्षैत्र के गोदामों को आरक्षित कराया गया, वर्तमान में वास्तविक उपयोगिता (AUB) के आधार पर आरक्षित गोदामों को किराया राशि रूपये 4.85 प्रति 50 किलोग्राम प्रतिमाह (रूपये 9.70 प्रति क्वि. प्रतिमाह) हैं। निगम द्वारा आरक्षित कराये गये गोदामों एवं उनमें संग्रहित खाद्यान्न (गेहूँ) का विवरण निम्न सारणी में प्रदर्शित किया जा रहा है:–

(मैट्रिक टन में)

वर्ष	आरक्षित गोदामों का स्थान	गोदामों की क्षमता	खरीद किये गये गेहूँ की मात्रा	संग्रहित खाद्यान्न की मात्रा	रिक्त भण्डारण क्षमता	क्षमता से अधिक संग्रहित खाद्यान्न की मात्रा
1	2	3	4	5	6	7
2013–14	अलवर, भरतपुर, बयाना, नदबई, बांदीकुई, लालसोट, एमएम रोड़, हिण्डौन सिटी तथा खैरथल	1,11,200.000	54,936.900	54,926.939	56,273.061	–
2014–15	अलवर, बांदीकुई, हिण्डौन, एम.एम. रोड, खैरथल, नदबई तथा भरतपुर	80,980.000	88,989.000	88,497.820	–	7517.82

11.4 विकेन्द्रीकृत खरीद योजनान्तर्गत (DCP) अलवर जिले में खरीदे गए गेहूँ का क्रय/विक्रय से प्राप्त राशि का विवरण निम्नानुसार है:–

Year	Wheat Procured (in Qntl.)	Storage gain (in Qntl.)	Total (in Qntl.)	Wheat Sold (in Qntl.)	Rate of Sale (per qntl.)	Amount Received (in Rs.)	Remark
1	2	3	4	5	6	7	8
2013-14	549369.00	3490.00	552859.00	552859.00	Rs. 200/-	110571638/-	-
2014-15	889890.00	-	889890.00	853839.15	Rs. 200/-	170767830/-	माह 1/15 तक उठाव

11.5 निगम ने रबी विपणन वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 के विकेन्द्रीकृत खरीद प्रणाली के अन्तर्गत समर्थन मूल्य पर गेहूँ की खरीद के क्लेम भारत सरकार को प्रेषित किए है, जिनके क्रम में प्राप्त राशि एवं बकाया दावों का विवरण निम्नानुसार है :–

(Amount in Crores)

Year	Claims sent to GOI	Period	Wheat (In MTS)	Amount of claim	Amount received from GOI	Amount yet to be received from GOI	Remarks
2013-14	IIIrd Quarter to IVth Quarter	October, 2013 to Feb. 2014	55285.90	83.87	77.63	6.24	Final claim yet to be sent
2014-15	IInd Quarter to IIIrd Quarter	July, 2014 to Dec. 2014	78721.400	114.90	80.84	34.06	GOI released Rs. 25 crores against Rs. 58.31 Crores
	IVth Quarter	January, 2015 to March, 2015	9952.515 (Approx)	-	-	-	Bill yet to be submitted

11.6 वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 में राज्य सरकार द्वारा की गई बजट घोषणा अनुसार निगम द्वारा गेहूँ खरीद हेतु प्राप्त एवं व्यय की गई बोनस राशि का विवरण निम्न प्रकार है :–

(Amount in Crores)

Year	Amount received from State Government		Amount spent/returned/yet to be returned to State Government		
	Head	Amount	Amount	Amount returned	Amount yet to be returned
2013-14	Bonus	299.80	190.25	109.55	Nil
2014-15	Bonus	323.83	323.11	-	0.72

दिसम्बर 2014 को कार्यरत उचित मूल्य की दुकानों की जिलेवार स्थिति

क्र. सं.	नाम जिला	उचित मूल्य दुकानों की श्रेणीनुसार स्थिति						
		शहरी		ग्रामीण		कुल		
		सहकारी	निजी	सहकारी	निजी	सहकारी	निजी	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अजमेर	15	409	106	615	**121**	**1024**	**1145**
2	अलवर	19	152	83	843	**102**	**995**	**1097**
3	बांसवाडा	2	48	76	520	**78**	**568**	**646**
4	बांरा	10	66	21	459	**31**	**525**	**556**
5	बाडमेर	2	105	206	739	**208**	**844**	**1052**
6	भरतपुर	9	197	50	640	**59**	**837**	**896**
7	भीलवाडा	29	112	295	414	**324**	**526**	**850**
8	बीकानेर	24	558	67	456	**91**	**1014**	**1105**
9	बून्दी	3	93	38	308	**41**	**401**	**442**
10	चित्तौडगढ	12	100	92	460	**104**	**560**	**664**
11	चूरू	6	220	105	551	**111**	**771**	**882**
12	दौसा	6	125	84	523	**90**	**648**	**738**
13	धौलपुर	12	48	22	357	**34**	**405**	**439**
14	डूँगरपुर	3	52	109	385	**112**	**437**	**549**
15	गंगानगर	38	198	74	391	**112**	**589**	**701**
16	हनुमानगढ	33	174	37	432	**70**	**606**	**676**
17	जयपुर	45	715	816	234	**861**	**949**	**1810**
18	जैसलमेर	8	24	29	264	**37**	**288**	**325**
19	जालौर	4	56	121	439	**125**	**495**	**620**
20	झालावाड	5	88	49	460	**54**	**548**	**602**
21	झुन्झुनू	4	154	51	575	**55**	**729**	**784**
22	जोधपुर	207	254	254	637	**461**	**891**	**1352**
23	करोली	5	73	77	403	**82**	**476**	**558**
24	कोटा	34	296	64	254	**98**	**550**	**648**
25	नागौर	6	204	88	939	**94**	**1143**	**1237**
26	पाली	7	155	188	433	**195**	**588**	**783**
27	प्रतापगढ़	0	33	45	276	**45**	**309**	**354**
28	राजसमन्द	7	46	64	384	**71**	**430**	**501**
29	सीकर	2	237	75	586	**77**	**823**	**900**
30	सिरोही	2	61	51	308	**53**	**369**	**422**
31	सवाई माधोपुर	2	96	24	450	**26**	**546**	**572**
32	टोंक	1	108	43	406	**44**	**514**	**558**
33	उदयपुर	29	173	186	794	**215**	**967**	**1182**
	योग	**591**	**5430**	**3690**	**15935**	**4281**	**21365**	**25646**

परिशिष्ट–(2)

राज्य को प्राप्त खाद्यान्न का पिछले पॉच वर्ष का मासिक आवंटन व उठाव

1. गेहूँ एपीएल

(मात्रा मै.टन में)

क्र.सं.	वर्ष	आवंटन	उठाव	प्रतिशत
1	2010–11	772320	762178	98.69
2	2011–12	772320	733834	95.02
3	2012–13	772320	752748	97.47
4	2013–14 (अप्रेल,13 से सितम्बर,13)	386160	375503	97.24

2. गेहूँ बीपीएल

(मात्रा मै.टन में)

क्र.सं.	वर्ष	आवंटन	उठाव	प्रतिशत
1	2010–11	629532	627423	99.66
2	2011–12	629532	606949	96.41
3	2012–13	629532	621164	98.67
4	2013–14 (अप्रेल,13 से सितम्बर,13)	314766	313893	99.72

3. गेहूँ अन्त्योदय अन्न योजना

(मात्रा मै.टन में)

क्र.सं.	वर्ष	आवंटन	उठाव	प्रतिशत
1	2010–11	391488	383770	98.03
2	2011–12	391488	385041	98.35
3	2012–13	391488	383200	97.88
4	2013–14 (अप्रेल,13 से सितम्बर,13)	195744	192469	98.33

4. गेहूँ अन्नपूर्णा योजना

(मात्रा मै.टन में)

क्र.सं.	वर्ष	आवंटन	उठाव	प्रतिशत
1	2010–11	12635	11895	94.14
2	2011–12	10793	9475	87.78
3	2012–13	11818	9440	79.88
4	2013–14 (अप्रेल,13 से सितम्बर,13	63175.8	20163.78	31.92

5. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आवंटन–उठाव की सूचना

(मात्रा मै.टन में)

क्र.सं.	माह	पात्र परिवार अन्त्योदय सहित		
		आवंटन	उठाव	प्रतिशत
1	अक्टूबर,13 से मार्च,2014	1347905.00	1323859.00	98.21

अप्रेल, 2014 से दिसम्बर, 2014

क्र.सं.	माह	पात्र परिवार अन्त्योदय सहित		
		आवंटन	उठाव	प्रतिशत
1	अप्रेल,2014	232631.00	231567.00	99.54
2	मई,2014	232631.00	231752.00	99.62
3	जून,2014	232631.00	231470.00	99.50
4	जुलाई,2014	232631.00	228613.00	99.19
5	अगस्त,2014	232631.00	231037.00	99.31
6	सितम्बर,2014	232631.00	228582.00	98.26
7	अक्टूबर,2014	232631.00	231763.00	99.63
8	नवम्बर,2014	232631.00	230704.00	99.17
9	दिसम्बर,2014	232631.00	231373.00	99.46
	योग	2093679.00	2076861.00	99.20

परिशिष्ट--(3)

योजनावार लाभार्थियों/परिवारों का जिलेवार विवरण

क्र.सं.	नाम जिला	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों की यूनिटस् (अन्त्योदय सहित)			अन्त्योदय परिवार
		शहरी	ग्रामीण	योग	
1	अजमेर	1085974	451424	1537398	26483
2	अलवर	2569107	327163	2896270	32424
3	बांसवाडा	1426177	81686	1507863	61577
4	बारां	1145763	179586	1325349	42327
5	बाडमेर	2269437	49436	2318873	32392
6	भरतपुर	1447170	286477	1733647	20194
7	भीलवाडा	1505204	221692	1726896	43099
8	बीकानेर	1414040	451162	1865202	23625
9	बूंदी	806957	130781	937738	18851
10	चित्तौडगढ	1107132	154813	1261945	50901
11	चूरू	1073744	330388	1404132	30000
12	दौसा	1488595	82705	1571300	16872
13	धौलपुर	1011743	94387	1106130	13740
14	डूँगरपुर	1445140	56602	1501742	52426
15	श्रीगंगानगर	1076681	337750	1414431	17566
16	हनुमानगढ	1222789	311320	1534109	18031
17	जयपुर	2918212	1054792	3973004	27861
18	जैसलमेर	404134	59303	463437	8075
19	जालौर	1262464	99547	1362011	32936
20	झालावाड	1284908	101542	1386450	23062
21	झूँझनूँ	579258	161016	740274	12314
22	जोधपुर	1799335	634499	2433834	15695
23	करौली	1243617	80843	1324460	26051
24	कोटा	629876	630525	1260401	18299
25	नागौर	2575876	364232	2940108	24398
26	पाली	1436474	199337	1635811	26746
27	प्रतापगढ	885134	40425	925559	25774
28	राजसमन्द	908564	64185	972749	28360
29	सीकर	1605893	309623	1915516	13639
30	सिरोही	720837	98747	819584	15128
31	सवाईमाधोपुर	1092491	60177	1152668	21975
32	टोंक	1015278	138389	1153667	26324
33	उदयपुर	2789307	213757	3003064	84956
	योग	**45247311**	**7858311**	**53105622**	**932101**

नवीन डिजिटाईज्ड राशन कार्ड वितरण का जिलेवार विवरण

10/11/2014

क्र.सं.	जिला	प्रतिशत में स्कैन	तैयार राशन कार्ड	वितरित राशन कार्ड
1	2	3	8	9
1	Hanumangarh	100% (478175)	100% (478175)	100% (478175)
2	Jhunjhunun	100% (598501)	100% (598501)	100% (598501)
3	Sikar	100% (707813)	100% (707813)	100% (707813)
4	Jaisalmer	100% (163516)	100% (163516)	100% (163516)
5	Bundi	100% (294818)	100% (294818)	100% (294818)
6	Rajsamand	100% (325563)	100% (325563)	100% (325563)
7	Banswara	100% (408116)	100% (408116)	97% (397070)
8	Kota	100% (534525)	100% (534525)	98% (524417)
9	S. Madhopur	100% (356550)	99% (355275)	97% (346273)
10	Nagaur	99% (893656)	99% (889435)	99% (889435)
11	Jaipur	100% (861928)	98% (850578)	98% (850578)
12	Jalor	100% (485122)	97% (472939)	97% (472939)
13	Barmer	100% (625256)	97% (610197)	96% (603307)
14	Alwar	100% (855881)	96% (823582)	96% (823582)
15	Baran	95% (291783)	93% (285487)	93% (285487)
16	Churu	99% (515999)	93% (484513)	93% (484513)
17	Dungarpur	100% (337842)	92% (313966)	90% (306812)
18	Chittaurgarh	92% (405581)	92% (405581)	86% (380261)
19	Bhilwara	100% (615815)	91% (562143)	91% (562143)
20	Jaipur (Rural)	97% (934962)	91% (878347)	91% (874077)
21	Udaipur	90% (653916)	91% (654696)	91% (654696)
22	Karauli	99% (366632)	90% (331880)	90% (331880)
23	Sirohi	96% (269439)	90% (252424)	90% (252424)
24	Dhaulpur	100% (238667)	90% (216823)	90% (216823)
25	Ajmer	90% (688252)	90% (688252)	85% (654098)
26	Dausa	100% (427257)	87% (374796)	87% (374796)
27	Tonk	100% (356494)	85% (304615)	85% (304615)
28	Pratapgarh	100% (240233)	85% (206516)	84% (203619)
29	Bikaner	100% (597229)	84% (505535)	81% (484728)
30	Jhalawar	97% (383893)	82% (325284)	80% (315202)
31	Pali	100% (647546)	81% (529325)	77% (502759)
32	Jodhpur	92% (792388)	76% (657345)	74% (638221)
33	Bharatpur	100% (582868)	76% (445128)	75% (441835)
34	Sri Ganganagar	100% (525572)	69% (365587)	69% (365587)
	Total	**17461788**	**16301276**	**16110561**
	Percentage		**93.35**	**92.26**

परिशिष्ट–(5)

राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान करने की गारन्टी का अधिनियम के क्षेत्राधिकार में ली जाने वाली सेवाएं, अवधि एवं उनके लिए निर्धारित किये जाने वाले पदाभिहित अधिकारी/सहायक पदाभिहित अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी

विभाग का नाम – खाद्य,नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग, राज. जयपुर।

क्र. सं.	विभाग की गतिविधियां/सेवाएं जो प्रस्तावित अधिनियम की परिधि में ली जानी है।	सेवा प्रदान करने की समयावधि	पदाभिहित अधिकारी	सहायक पदाभिहित अधिकारी	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी	विशेष टिप्पणी, यदि कोई हो
	नये राशनकार्ड बनाने हेतु						
1.	जिला मुख्यालय का नगरपालिका क्षेत्र	आवेदन प्राप्ति से 7 दिवस	जिला रसद अधिकारी	—	जिला कलक्टर	प्रमुख शासन सचिव, खाद्य विभाग (मुख्यालय)	
2.	शेष नगरपालिका क्षेत्र में		नगरपालिका बोर्ड का अधिशाषी अधिकारी/आयुक्त				
3.	ग्रामीण क्षेत्र के लिए		विकास अधिकारी, संबंधित पंचायत समिति अधिकारी				
4.	राज्य सरकार द्वारा अधिकृत		राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से अधिकृत कोई भी अन्य अधिकारी				

परिशिष्ट–(6)

राज्य को प्राप्त लेवी चीनी का पिछले पॉच वर्ष का मासिक आवंटन व उठाव

(मात्रा मै.टन में)

क्र.सं.	वर्ष	आवंटन	उठाव	प्रतिशत
1	2010–11	94629	76112	80.43
2	2011–12	94692.7	35423.92	37.41
3	2012–13	95683.5	88901.45	92.91
4	2013–14	92629.2	86534.8	93.42

अप्रेल 2014 से दिसम्बर 2014 की अवधि में (अनंतिम सूचना)

क्र.स.	माह	आवंटन	उठाव	प्रतिशत
1	अप्रेल,14 त्यौहारी कोटा	7342 5092	7342 5092	100.00
2	मई, 14	7342	7342	100.00
3	जून, 14	7342	7342	100.00
4	जुलाई, 14	7342	5936	80.85
5	अगस्त, 14	7342	4191	57.08
6	सितम्बर, 14	0	0	0
7	अक्टूबर, 14	0	0	0
9	नवम्बर, 14	0	0	0
10	दिसम्बर, 14	0	0	0
	योगः–	**41802**	**37245**	**89.10**

परिशिष्ट–(7)

राज्य को प्राप्त केरोसीन का पिछले पॉच वर्ष का मासिक आवंटन व उठाव

(मात्रा के.एल में)

क्र.सं.	वर्ष	आवंटन	उठाव	प्रतिशत
1	2010–11	511632	509276	99.54
2	2011–12	511332	507648	99.28
3	2012–13	510312	500249	98.03
4	2013–14	508644	501723	98.64

अप्रेल 2014 से दिसम्बर 2014 की अवधि में

क्र.स.	माह	आवंटन	उठाव	प्रतिशत
1	अप्रेल,14	42360	41772	98.61
2	मई, 14	42360	41632	98.28
3	जून, 14	42360	41923	98.97
4	जुलाई,14	42360	41786	98.64
5	अगस्त,14	42360	41842	98.78
6	सितम्बर,14	42360	41505	97.98
7	अक्टूबर,14	42360	41727	98.51
9	नवम्बर 14	42360	41909	98.94
10	दिसम्बर 14	42360	41844	98.78
	योगः–	**381240**	**375940**	**98.61**

राजस्थान सरकार
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग
अन्नपूर्णा भण्डार के लिये चयनित उचित मूल्य दुकानों की संख्या

दिनांकः—19.01.2015

क सं	नाम जिला	उचित मूल्य दुकानों की संख्या		स्वयं की दुकानों की संख्या	किराये की दुकानों की संख्या	कुल
		जीएसएस/ लेम्पस/ केविएसएस	अन्य			
उदयपुर संभाग						लक्ष्यः— 1000
1	बांसवाडा	54	66	86	34	120
2	चित्तौडगढ	41	184	187	38	225
3	डूंगरपुर	47	47	83	11	94
4	प्रतापगढ	13	45	58	0	58
5	राजसमंद	52	70	102	20	122
6	उदयपुर I	11	55	66	0	66
7	उदयपुर II	40	121	149	12	161
	योग	**258**	**588**	**731**	**115**	**846**
जयपुर संभाग						लक्ष्यः— 1000
1	अलवर	8	317	131	194	325
2	दौसा	27	159	175	11	186
3	जयपुर (शहर)	2	30	32	0	32
4	जयपुर (ग्रामीण)	15	71	86	0	86
5	झुंझुनू	50	75	125	0	125
	सीकर	33	173	136	70	206
	योग	**135**	**825**	**685**	**275**	**960**
जोधपुर संभाग						लक्ष्यः— 1000
1	बाडमेर	87	143	201	29	230
2	जैसलमेर	11	59	70	0	70
3	जालौर	65	75	100	40	140
4	जोधपुर I	59	96	100	55	155
5	जोधपुर II	62	90	123	29	152
6	पाली	91	79	150	20	170
7	सिरोही	24	66	65	25	90
	योग	**399**	**608**	**809**	**198**	**1007**
कोटा संभाग						लक्ष्यः— 500
1	बारां	3	86	82	7	89

2	बूंदी	4	109	106	7	113
3	झालावाड	44	81	123	2	125
4	कोटा I	1	61	52	10	62
5	कोटा II	14	36	50	0	50
	योग	**66**	**373**	**413**	**26**	**439**

बीकानेर संभाग — लक्ष्यः— 500

1	बीकानेर I	3	73	76	0	76
2	बीकानेर II	31	194	225	0	225
3	चूरू	27	105	90	42	132
4	श्रीगंगानगर	15	127	129	13	142
5	हनुमानगढ	3	110	113	0	113
	योग	**79**	**609**	**633**	**55**	**688**

भरतपुर संभाग — लक्ष्यः— 500

1	भरतपुर I	10	65	66	9	75
2	भरतपुर II	12	99	97	14	111
3	धौलपुर	32	69	89	12	101
4	करौली	18	90	108	0	108
5	स0 माधोपुर	14	190	155	49	204
	योग	**86**	**513**	**515**	**84**	**599**

अजमेर संभाग — लक्ष्यः— 500

1	अजमेर I	44	40	75	9	84
2	अजमेर II	24	43	55	12	67
3	भीलवाडा	73	51	116	8	124
4	नागौर	34	91	87	38	125
5	टोंक	3	58	43	18	61
	योग	**178**	**283**	**376**	**85**	**461**
	महायोग	**1201**	**3799**	**4162**	**838**	**5000**

परिशिष्ट–(9)

वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 का वास्तविक व्यय तथा वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 का बजट प्रावधान

(राशि लाखों में)

व्यय बजट शीर्ष/उपशीर्ष	वास्तविक व्यय 2012–13	वास्तविक व्यय 2013–14	मूल प्रावधान 2013–14	संशो. प्रावधान 2013–14	बजट प्रावधान 2014–15
(मॉग संख्या 32) 3456–नागरिक आपूर्ति, 001–निदेशन एवं प्रशासन, (01) खाद्य आयुक्त के माध्यम से:–					
[01] मुख्यालय कर्मचारी वर्ग (आयो.भिन्न.)	321.14	385.90	374.53	399.13	448.73
[02] जिला कर्मचारी वर्ग (आ.भि.)	1520.71	1653.43	1909.79	1812.76	1960.71
[02] प्रभृत व्यय (आ.भि.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[03] उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ (आ.भि.)	1437.27	1645.57	1655.15	1715.14	1768.17
[04] उपभोक्ता मामले निदेशालय (आ.भि.)	9.80	12.46	11.97	13.27	14.97
[06] उपभोक्ता जागरूकता विज्ञापन (आ.भि.)	56.05	98.43	92.00	100.00	10.00
योग (दत्तमत)	**3344.97**	**3795.79**	**4043.44**	**4040.30**	**4202.58**
योग (प्रभृत)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
आयोजना भिन्न मद की योजनाऐं:–					
3456–नागरिक आपूर्ति, 102–सिविल पूर्ति योजना,(02) खाद्यान्न वितरण :–					
[01]–91 अन्त्योदय अन्न योजना	2429.84	3504.30	2799.00	3628.35	0.01
[02]-91 मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजनान्तर्गत बी.पी. एल. अन्न योजना	18479.61	15090.70	18324.00	15191.26	0.01
[03]-91 मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजनान्तर्गत स्टेट बीपीएल अन्न योजना	10214.98	7993.51	9991.00	8078.97	0.01
[04]-91 फूड स्टेम्प योजना	0.16	0.04	12.25	1.00	1.00
[05]-91 सहरिया–कथौडी अन्न योजना	224.85	172.92	265.00	225.00	0.01
[06]-91 एपीएल अन्न योजना	0.00	5.34	1.00	7.50	0.01
3456–102–03–00–28 चल प्रयोगशाला	44.15	0.00	0.01	0.01	0.01
3456–102–01–02–53 केरोसीन समानीकरण राशि का भुगतान	404.28	154.27	458.00	200.00	150.00
योग (आ.भि. योजनाऐं)	**31797.81**	**26921.08**	**31850.26**	**27332.09**	**151.06**
आयोजना मद की योजनाऐं:–					
अन्नपूर्णा योजना:–					
3456-102-(01)-[04]-12	268.56	149.68	421.68	150.00	0.01
3456-102-(01)-[04]-62	0.00	8.93	15.00	13.00	0.00
3456-789-(01)-[01]-12	101.50	30.03	102.96	47.00	0.01
3456-789-(01)-[01]-62	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
3456-796-(01)-[01]-12	63.41	31.38	75.36	40.00	0.01
3456-796-(01)-[01]-62	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00
योग (अन्नपूर्णा)	**433.47**	**220.02**	**622.50**	**250.00**	**0.03**
राशन टिकट योजना:–					
3456-102-(01)-[07]-39	64.87	182.98	70.28	194.40	272.00
3456-789-(01)-[02]-39	12.34	45.90	17.16	59.40	72.00
3456-796-(01)-[02]-39	8.65	44.47	12.56	46.20	56.00
योग (राशन टिकट योजना)	**85.86**	**273.35**	**100.00**	**300.00**	**400.00**
कुष्ठ रोग से मुक्त अन्न योजना:–					
3456-102-(02)-[07]-91	0.47	1.19	140.56	1.40	0.01

3456-789-(01)-[05]-91	0.11	0.02	34.32	0.35	0.01
3456-796-(01)-[05]-91	0.14	0.03	25.12	0.25	0.01
योग (कुष्ठ रोग से मुक्त अन्न योजना)	**0.72**	**1.24**	**200.00**	**2.00**	**0.03**
5475-102-(09)-[00]-17 उपभोक्ता संरक्षण के तहत राज्य आयोग एवं जिला फोरमों का आधुनिकीकरण –वृहद निर्माण कार्य (आयोजना)	2.14	0.00	0.01	0.01	0.01
3456-00-102-(04)-[00]-91 घरेलू गैस सिलेण्डर पर सब्सिडीः–					
3456-102-04-00-91	8546.83	7990.95	8785.00	8093.00	8500.00
3456-789-01-04-91	2145.00	2144.67	2145.00	2024.90	2250.00
3456-796-01-04-91	1570.00	1464.38	1570.00	1482.10	1750.00
योग (घरेलू गैस पर सब्सिडी)	**12261.83**	**11600.00**	**12500.00**	**11600.00**	**12500.00**
समर्थन मूल्य पर गेंहूँ खरीद पर बोनस					
3456-102-01-02-12	0.00	8451.29	0.01	16980.00	20682.90
3456-789-01-07-12	0.00	6469.19	0.01	8000.00	7200.01
3456-796-01-07-12	0.00	4104.41	0.01	5000.00	4500.01
योग(गेंहूँ खरीद)	**0.00**	**19024.89**	**0.03**	**29980.00**	**32382.92**
नए राशन कार्डो का कम्प्यूटराईजेशन एवं डिजिटाईजेशन					
3456–102–01–08–62	74.74	388.37	116.07	491.47	1632.00
3456–789–01–03–62	153.24	48.90	28.33	119.87	432.00
3456–796–01–03–62	22.63	37.71	20.74	87.92	336.00
योग(राशन कार्ड)	**250.61**	**474.98**	**165.14**	**699.26**	**2400.00**
लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटराईजेशन					
3456–102–02–08–62	338.79	79.67	79.67	79.67	119.67
3456–789–01–06–62	82.72	38.30	38.30	38.30	31.67
3456–796–01–06–62	60.55	27.78	28.30	27.78	24.63
योग(ल.सा.वि.प्र.कम्प्यू.)	**482.06**	**145.75**	**146.27**	**145.75**	**175.97**
3456-190-(01)-[00]-12 राज.राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड को सहायतार्थ अनुदान	0.00	13500.00	0.01	15000.00	0.01
5475-190-(03)-[00]-73 रा.रा.ना.आ.नि.लि. में पूँजी विनियोजन	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
7475-190-(01)-[00]-00 रा.रा.ना.आ.नि.लि. को उधार	5510.32	0.00	0.01	0.01	0.01
अतिरिक्त घरेलू गैस सिलेण्डर पर बोनस					
3456–102–05–00–91	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00
3456–789–01–07–91	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00
3456–796–01–07–91	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00
योग (अति.गैस पर बोनस)	**0.00**	**0.00**	**0.03**	**0.03**	**0.00**
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना					
3456–102–07–01–44	0.00	1491.43	0.00	1810.00	3259.00
3456–789–03–02–44	0.00	296.20	0.00	364.00	1018.00
3456–796–03–02–44	0.00	231.39	0.00	266.00	815.00
3456–102–07–02–44	0.00	5011.05	0.00	6018.42	13108.00
3456–789–03–03–44	0.00	1074.21	0.00	1156.00	4096.00
3456–796–03–03–44	0.00	806.01	0.00	846.00	3277.00
3456–001–02 (1 & 2)	0.00	0.00	0.00	0.96	300.30
योग (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना)	**0.00**	**8910.29**	**0.00**	**10462.28**	**25873.3**
बीपीएल एवं अन्त्योदय परिवारों को चीनी पर सब्सिडी					
3456–102–02–10–91	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00

3456–789–01–10–91	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
3456–796–01–10–91	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00
3456–102–01–02–53	0.00	300.00	0.00	3001.03	0.00
योग (चीनी सब्सिडी)	**0.00**	**300.00**	**0.00**	**3001.03**	**1000.00**
बीपीएल परिवारों को फोर्टीफाइड आटा					
3456–102–02–11–91	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
3456–789–01–11–91	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
3456–796–01–11–91	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
योग	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.03**	**0.03**
5475–102–10–00–72 खाद्य विभाग का आधुनिकीकरण, सुदृढीकरण एवं नवीनीकरण	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
अन्त्योदय योजना 3456–102–01–91	0.00	187.92	0.00	187.92	0.00
योग	**0.00**	**187.92**	**0.00**	**187.93**	**0.01**
महा योग (आयोजना मद की योजनाऐं)	**19027.01**	**54638.44**	**13734.01**	**71628.34**	**74732.33**

केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं:–					
3456-001-(01)-[03]-28 उपभोक्ता मंचों का सुदृढीकरण	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
5475-102-(09)-[00]-72 उपभोक्ता संरक्षण के तहत राज्य आयोग एवं जिला फोरमों का आधुनिकी. सुदृढी., नवीनी. एवं उन्नयन व्यय (के.प्र.यो.)	5.90	1.42	1.50	1.50	0.01
5475–102–09–00–17 राज्य आयोग का भवन निर्माण	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
3456-001-(01)-[06]-11 उपभोक्ता जागरूकता हेतु सहायता (के.प्र.यो.)	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
3456–001–01–05 (05 व 62) उपभोक्ता हेल्प लाईन की स्थापना	13.92	12.02	0.01	156.89	22.73
केरोसीन सब्सिडी का सीधे ट्रांसफर 3456–00–00,(102–06–01),789–02–01), (796–02–01)–91	0.00	0.00	0.00	0.00	500.02
योग (केन्द्र प्रवर्तित योजना)	**29.02**	**13.44**	**1.53**	**17.41**	**522.79**

वर्ष 2012–13 व 2013–14 की वास्तविक आय तथा वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 के बजट प्रावधान का विवरण

राजस्व बजट शीर्ष/उपशीर्ष	वास्तविक आय 2012–13	वास्तविक आय 2013–14	मूल प्रावधान 2013–14	संशोधित प्रावधान 2013–14	मूल प्रावधान 2014–15
1475–अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं से प्राप्तियाँ, 800 अन्य प्राप्तियाँ :–					
01–नगरीय रसद विभागों से प्राप्तियां	10.76	11.90	1.00	12.00	13.00
02–विभिन्न लाइसेंसों से प्राप्तियां	29.44	20.06	15.00	20.00	15.00
03–सीमेंट आपूर्ति एवं अन्य से प्राप्तियां	0.00	0.89	0.20	0.01	0.01
04–अन्य विविध –01विविध	43.05	108.31	117.00	85.00	90.00
04–अन्य विविध–02–खाद्य विभाग के माध्यम से	1050.34	1234.78	600.00	800.00	900.00
05–परिवहन समानीकरण से प्राप्तियां	216.72	1387.99	118.84	1200.00	1300.00
06–अंतर राशि से प्राप्तियाँ–01–खाद्यान्न	17.32	49.38	25.00	60.00	0.01
06–अंतर राशि से प्राप्तियाँ–02–केरोसीन	582.76	1525.16	600.00	850.00	13.00
07–उपं. संरक्षण के तहत जिला मंचों में परिवाद दायर करने हेतु फीस	0.54	1.22	0.01	0.01	0.01
कुल आय	**1950.93**	**4339.69**	**1477.05**	**3027.02**	**2331.03**

परिशिष्ट–(10)

खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग

प्रशासनिक संरचना

राज्य स्तर

मंत्री, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग
प्रमुख शासन सचिव एवं पदेन आयुक्त
(1)

अतिरिक्त खाद्य आयुक्त एवं पदेन निदेशक, उपभोक्ता मामले
(1)

उपायुक्त एवं पदेन उप शासन सचिव	सहायक आयुक्त	सहायक निदेशक (सांख्यिकी)	उप विधि परामर्शी	वित्तीय सलाहकार
(2)	(1)	(1)	(1)	(1)

सूचना एवं जन संपर्क अधिकारी	जिला रसद अधिकारी (सतर्कता) / (उपभोक्ता मामले) / (प्रोक्योरमेन्ट)	लेखाधिकारी	सहायक लेखाधिकारी
(1)	(3)	(2)	(1)

प्रशासनिक अधिकारी	प्रवर्तन अधिकारी	प्रवर्तन निरीक्षक
(1)	(2)	(2)

संभाग स्तर

संभागीय उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी (संभाग मुख्यालय)
(7)

जिला रसद अधिकारी–सतर्कता (संभागीय आयुक्त कार्यालय)
(7)

जिला स्तर

जिला कलक्टर्स रसद (33)

जिला रसद अधिकारी	जिला रसद अधिकारी (प्रथम / द्वितीय) संभाग जिला मुख्यालय	जिला रसद अधिकारी (रिट्स) संभाग जिला मुख्यालय जयपुर एवं जोधपुर	अतिरिक्त जिला रसद अधिकारी जयपुर एवं जोधपुर
(26)	(7+7)	(2)	(2)

प्रवर्तन अधिकारी (103)

प्रवर्तन निरीक्षक (315)

- सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन एवं क्रियान्वयन
- न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्नों की खरीद
- आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 का क्रियान्वयन
- उपभोक्ता संरक्षण हेतु प्रभावी प्रयास

हैल्प लाइन – 1800 180 6030 (टोल फ्री)

मुद्रक : राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लिमिटेड, जयपुर